छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2011-12

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2011-12

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों / निगम / आयोग की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है ।

(डी.एस. मिश्र)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

1. विभाग का नाम : वित्त तथा योजना विभाग
2. प्रभारी मंत्री का नाम : डॉ. रमन सिंह

मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

प्रमुख सचिव	:	1. श्री डी.एस. मिश्र (16.02.2012से)
	:	2. श्री अजय सिंह (16.02.2012तक)
सचिव	:	1. श्री आर. एस. विश्वकर्मा
संयुक्त सचिव	:	1. श्री सी. जे. खत्री
	:	2. श्री सतीश पाण्डेय (19.05.2011तक)
	:	3. श्री श्रवण कुमार सारस्वत (16.05.2011से)
उप सचिव	:	1. श्री एस.के. चक्रवर्ती
	:	2. डॉ.अल्पना घोष (06.05.2011तक)
	:	3. डॉ. ए.के. सिंह (05.05.2011से)
अवर सचिव	:	1. श्री चन्द्रशेखर ओंकार
	:	2. श्री राजभान सिंह
	:	3. श्री विक्रमराम भगत
	:	4. श्री के.सी. वर्मा (05.08.2011तक)
	:	5. श्री सी.पी. साहू (20.09.2011से)
शोध अधिकारी	:	1. श्री प्रशांत लाल
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	1. श्री ऋषभ पाराशर
	:	2. श्री रवि नेताम (26.05.2011से)

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारीगण

1.	आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन	:	श्री अवध बिहारी
2.	आयुक्त, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज	:	श्री अवध बिहारी
3.	आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा	:	श्री बी. एस. अनंत
4.	आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं 20सूत्रीय कार्यक्रम	:	श्री पी. सी. मिश्रा
5.	संचालक, संस्थागत वित्त	:	श्री अमिताभ खंडेलवाल, प्रभारी संचालक
6.	संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	:	श्री सी. जे. खत्री
7.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	:	श्री मुदित कुमार सिंह
8.	सचिव, राज्य वित्त आयोग	:	श्री आर. एस. विश्वकर्मा

मण्डल/आयोग में पदस्थ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

1.	छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग	: 1. अध्यक्ष– माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष– श्री शिवराज सिंह
2.	छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	: अध्यक्ष– माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
3.	राज्य वित्त आयोग	: 1. अध्यक्ष – माननीय. अजय चन्द्राकर : मनोनित सदस्य – डॉ.अशोक कुमार पारख : सलाहकार – श्री एस.के. मिश्रा

विषय–सूची

क्र.	विभाग	संचालनालय/आयोग/मण्डल	पृष्ठ संख्या
1.	वित्त विभाग	1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन	पेज 01 से 05 तक
		2. संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा	पेज 06 से 38 तक
		3. संचालनालय, संस्थागत वित्त	पेज 39 से 43 तक
		4. संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज	पेज 44
		5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	पेज 45 से 46 तक
		6. छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	पेज 47
		7. राज्य वित्त आयोग	पेज 48 से 49 तक
2.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	1. छ.ग.राज्य योजना मण्डल	पेज 50 से 58 तक
		2. संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी	पेज 59 से 67 तक
		3. 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	पेज 68 से 71 तक

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर

भाग–एक

सामान्य जानकारी

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिनांक 01.11.2000 को राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप हुई । विभाग की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, पेंशन तथा वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, राज्य वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक का कार्य तथा अंशदायी पेंशन योजना हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में किये जाने वाले सभी कार्य शामिल है ।

1.2 अधीनस्थ कार्यालयः–

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीनस्थ 04 संभागीय कार्यालय, 28 कोषालय, 46 उपकोषालय तथा 02 लेखा प्रशिक्षण शालायें है ।

1.3 स्वीकृत सेटअप :–

मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार है –

स.क.	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	श्रेणी	स्वीकृत पद
01	आयुक्त/संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान		प्रथम श्रेणी	01
02	अपर संचालक	37400–67000	8700	प्रथम श्रेणी	02
03	संयुक्त संचालक	15600–39100	7600	प्रथम श्रेणी	06
04	उप संचालक	15600–39100	6600	प्रथम श्रेणी	12
05	सिस्टम एनालिस्ट	15600–39100	6600	प्रथम श्रेणी	01
06	सहायक संचालक/ कोषालय अधिकारी/ अति.कोषालय अधिकारी/ प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	15600–39100	5400	द्वितीय श्रेणी	39
07	प्रोग्रामर	15600–39100	5400	द्वितीय श्रेणी	04
08	सहायक प्रोग्रामर	9300–34800	4300	तृतीय श्रेणी	21
09	सहायक कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	9300–34800	4400	तृतीय श्रेणी	124
10	शीघ्रलेखक ग्रेड–1	9300–34800	4400	तृतीय श्रेणी	01
11.	शीघ्रलेखक ग्रेड–2	9300–34800	4300	तृतीय श्रेणी	02
12.	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	5200–20200	2800	तृतीय श्रेणी	06

13	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	तृतीय श्रेणी	75
14.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	तृतीय श्रेणी	205
15.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	तृतीय श्रेणी	258
16.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200	2200	तृतीय श्रेणी	28
17.	वाहन चालक	5200-20200	1900	तृतीय श्रेणी	10
18.	दफ्तरी	4750-7440	1400	चतुर्थ श्रेणी	23
19.	भृत्य	4750-7440	1300	चतुर्थ श्रेणी	132
20.	चौकीदार	कलेक्टर दर			07
21.	वाटरमैन	कलेक्टर दर			23
22.	स्वीपर/फर्राश	कलेक्टर दर			27
योग					**1007**

1.4 मुख्य कर्त्तव्य:-

1.4.1 कोष प्रचालन :- राज्य के 28 कोषालयों तथा 46 उपकोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है । नवीन कोषालयों की स्थापना तथा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1.4.2 कोष निरीक्षण :- राज्य के सभी कोषालय तथा उपकोषालयों का छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1.4.3 पेंशन व वेतन निर्धारण :- राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1.4.4 संवर्ग प्रबंधन :- राज्य वित्त सेवा तथा अधीनस्थ लेखा सेवा का संवर्ग प्रबंधन विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है । प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर तथा कोषालयीन लिपिकीय सेवा वर्ग-1 की सेवायें राज्य स्तरीय सेवायें है जिनका संवर्ग प्रबंधन भी विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है ।

1.4.5 लेखा प्रशिक्षण :-राज्य के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लेखाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु 02 लेखा प्रशिक्षण शाला राज्य में स्थापित है । राज्य के समस्त तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वाह भी संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है ।

1.4.6 अंशदायी पेंशन योजना :-राज्य शासन द्वारा दिनांक 1.11.2004 से प्रारंभ अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत दिनांक 31.12.2011 की स्थिति में कुल 65,689 शासकीय सेवक पंजीकृत है शासकीय सेवकों तथा नियोक्ता के अंशदान की राशि प्रतिमाह केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी को अंतरित की जाती है ।

1.5 उपलब्धियाँ :-

1.5.1 पेंशन तथा वेतन निर्धारण :- वर्ष 2011-12 में माह दिसंबर, 2011 तक 5,110 पेंशन प्रकरण, 1,302 पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण तथा 37,895 वेतन निर्धारण प्रकरणों का निराकरण किया गया है ।

1.5.2 अंशदायी पेंशन योजना :- वर्ष 2011-12 में माह दिसंबर, 2011 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 65,689 शासकीय सेवकों को पंजीकृत किया गया है ।

1.5.3 पेंशनर कल्याण कोष :- पेंशनर कल्याण कोष से पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा प्रदाय करने हेतु ` **30.95** लाख की राशि उपलब्ध करायी गई है ।

1.5.4 ई-कोष :- ई-कोष परियोजना की शुरूआत वर्ष 2005 में की गई । इस परियोजना के अंतर्गत महालेखाकार को कम्प्यूटर के माध्यम से आय-व्यय का मासिक लेखा भेजा जाता है ।

1.5.5 साख पत्रों का कम्प्यूटरीकरण :- ई-कोष के माध्यम से साख पत्र का कम्प्यूटरीकरण किया गया है जिसमें कम्प्यूटर के माध्यम से बजट आबंटन, व्यय राशि तथा आवश्यक साख सीमा की प्रविष्टि की जाती है ।

1.5.6 पेंशन भुगतान आदेश का कम्प्यूटरीकरण :- ई-कोष परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी पेंशनरों का पेंशन भुगतान आदेश कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किया जाता है ।

1.5.7 शासकीय सेवकों का डाटाबेस :- राज्य के सभी शासकीय सेवकों का डाटाबेस तैयार किया गया है । इस डाटाबेस को ई-पेरोल के माध्यम से लिंक कर शासकीय सेवकों का वेतन भुगतान किया जाता है ।

1.5.8 ई-चालान :- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006 से ई-चालान की सुविधा वाणिज्यकर विभाग में लागू की गई तथा वर्ष 2009 से इसे सभी विभागों हेतु लागू किया गया है । वर्तमान में यह सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक, आई.सी.आई.सी बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रदाय की जा रही है । कुल राजस्व प्राप्तियों में ई-चालान के माध्यम से लगभग 54 प्रतिशत् राजस्व का संग्रहण किया जा रहा है ।

1.5.9 ई-पेमेन्ट :- राज्य के सभी नियमित शासकीय सेवकों का वेतन भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से किये जाने की सुविधा दिनांक 01.01.2011 से प्रारंभ की गई है । वर्तमान में यह सुविधा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदाय की जा रही है ।

1.5.10 विभागीय निरीक्षण तथा आंतरिक लेखा परीक्षण :- वर्ष 2011-12 में 02 संभागीय संयुक्त संचालक, 09 कोषालय तथा 09 उपकोषालयों का निरीक्षण किया गया । राज्य के शासकीय कार्यालयों में 11 कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण तथा 01 विशेष अंकेक्षण किया गया।

1.5.11 लेखा प्रशिक्षण शाला :- वर्ष 2010-11 में लेखा प्रशिक्षण शाला द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कुल 473 परीक्षार्थी शामिल हुए ।

1.5.12 सूचना का अधिकार :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 201 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 198 आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया गया ।

भाग-दो

बजट एक दृष्टि में-

बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

(राशि हजार में)

मांग संख्या-.. मुख्य शीर्ष-2049 ब्याज संदाय			
स.क.	**योजना का नाम**	**वर्ष 2011-2012 हेतु प्रावधान**	**व्यय दिसम्बर 2011 तक**
01	4192-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)	11,93,77	11,93,76
02	4198-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)	37,89,56	36,12,95
03	4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	6,35,29	6,35,29
04	6802-अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	1,00,00	0
योग-2049		**57,18,62**	**54,42,00**
मांग संख्या-06-2071 पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ			
01.	6801 राज्य शासन का अंशदान	92,00,00	76,64,02
मांग संख्या 06-2054-राजकोष और लेखा प्रशासन			
01	2274-निदेशन एवं प्रशासन	8,22,70	3,59,49
02	4307-संभागीय स्थापना	3,75,00	2,45,17
03	3843-लेखा प्रशिक्षण शाला	37,50	20,17
04	5697-कोषालय कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1,50	24
05	1026-खजाना स्थापना	19,00,55	11,75,01
योग-2054		**31,37,25**	**18,00,08**
मांग संख्या 06-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
01	7000-पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति	15,00	15,00
मांग संख्या 06-2885-उद्योगो और खनिजो पर अन्य परिव्यय			
01.	4843 - अधोसंरचना विकास निगम	5,30,00	0
मांग संख्या 48-2054- राजकोष और लेखा प्रशासन			
01.	7416 तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	50,00	0
महायोग-		**186,50,87**	**149,21,10**

भाग–तीन

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संचालित समस्त योजना एवं स्थापना व्यय आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत है । राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में न ही कोई स्थापना व्यय है और न ही कोई योजना संचालित है, अतः इसकी जानकारी निरंक है ।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय– निरंक

भाग–पाँच

अभिनव योजना

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग से संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिकारी/ कर्मचारी का वेतन भुगतान दिनांक 01 नवम्बर, 2010 से ई- पेमेंट के माध्यम द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया । इस सुविधा का विस्तार दिनांक 01.01.2011 से समस्त विभागों के लिए किया गया है । इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेतन जमा होने की सूचना शासकीय सेवकों को मोबाइल पर संदेश के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है ।

भाग–छः

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन–निरंक

भाग–सात

अन्य विवरण

7.1 जीवन बीमा योजना –

दिनांक 01.11.1974 से शासकीय परिवार कल्याण निधि योजना अनिवार्य रूप से प्रभावशील की गई है तत्पश्चात् म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 01.07.1985 से समूह बीमा योजना प्रभावशील करते हुए यह प्रावधान रखा गया है कि शासकीय सेवक परिवार कल्याण योजना 1974 के सदस्य अपना नकारात्मक विकल्प प्रस्तुत कर पूर्व अनुसार परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य बने रहकर योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अंशदान जमा कराते रहेंगे । किन्तु ऐसा विकल्प प्रस्तुत न करने पर वे स्वमेव समूह बीमा योजना, 1985 के अनिवार्य सदस्य होगें तथा अनिवार्य रूप से उनके वेतन समूह बीमा योजना, 1985 के अंतर्गत कटौत्रा किया जावेगा ।

यह योजना संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन है तथा योजनाओं से संबंधित बिन्दुओं पर प्रशासित करना, योजनाओं के अभिलेखों का निरीक्षण करना, योजना के अंतर्गत भुगतान राशि का परीक्षण करना, योजना से संबंधित आय-व्यय के आंकड़े संबंधी संचित अवशेष राशियों पर ब्याज संगणित करना एवं शासन को प्रतिवेदन का कार्य सौपा गया है । इस विभाग द्वारा कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा जारी किये गये परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना के अधीन स्वीकृति आदेश तथा पात्रता राशि का परीक्षण किया गया और त्रुटि पाये जाने पर संबंधितों को सुधार हेतु लेख किया गया साथ ही चाहे जाने पर उन्हें मार्गदर्शन भी दिया गया । परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना में प्रतिवर्ष जमा राशि पर देय ब्याज राशियों का अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से समायोजन किया जाता है । उक्त योजना के अधीन सिर्फ मृत्यु/ सेवानिवृत्ति पर ही बीमा राशि देय होती है ।

कार्यालय आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा

भाग – 1

1. सामान्य जानकारी –

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित निगमित एवं अनिगमित स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थाओं आदि के लेखाओं का अंकेक्षण किया जाता है। स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा स्थानीय निकायों के अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला जाता है । प्रतिवेदन में स्थानीय निकाय के आर्थिक स्थिति तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण सम्मिलित करते हुए, दृष्टिगत वित्तीय अनियमितताओं एवं महत्वपूर्ण आपत्तियों का समावेश किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 (31 दिसबंर 2011 तक) की अवधि में, जिन स्थानीय निकायों के लेखाओं की पश्चातवर्ती संपरीक्षा संपादित की गई है, उनकी आर्थिक स्थिति एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का सारांशीकृत विवरण दिया गया है। अनियमितताओं के संबंध में समय–समय पर विशेषत: निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रधान अधिकारियों के साथ विचार विमर्श पश्चात् विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास किये जाते है

2. स्थानीय निधि संपरीक्षा का प्रशासकीय ढांचा –

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरबा एवं कोरिया में स्थापित हैं । संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये कुल 356 पदों का सृजन किया गया है । जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क	कार्यालय	कुल पद संख्या
1	संचालनालय, रायपुर	43
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	75
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	55
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	42
5	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव	67
6	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	38
7	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरिया	36
कुल पद संख्या		**356**

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2011 की स्थिति में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी निम्नानुसार है :–

क	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टीप
1	संचालक	01	01	0	
2	अतिरिक्त संचालक	01	0	01	
3	संयुक्त संचालक	02	02	0	
4	उप संचालक	07	03	04	

5	सहायक संचालक	24	18	06	
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	78	74	04	
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	01	0	01	..
8	अधीक्षक	01	01	0	..
9	मुख्य लिपिक	02	02	0	..
10	सहायक अधीक्षक	01	01	0	..
11	सहायक ग्रेड 1	01	01	0	
12	स्टेनोग्राफर	01	0	01	..
13	सहायक संपरीक्षक	155	94	61	
14	लेखापाल	01	01	0	..
15	सहायक ग्रेड 2	13	11	02	..
16	डाटा एंट्री ऑपरेटर	07	01	06	..
17	सहायक ग्रेड 3	21	16	05	08 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
18	स्टेनो टायपिस्ट	05	0	05	..
19	वाहन चालक	0104	0104	0	04 पद पर संविदा से कार्यरत है।
20	भृत्य	22	17	05	..
21	चौकीदार (अस्थाई)	07	07	0	
योग		**356**	**24**	**101**	..

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के तहत कुल 10518 निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है जिनमें राज्य की 9734 ग्राम पंचायत भी सम्मिलित हैं । स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरिया एवं कोरबा में पदस्थ अमले द्वारा क्षेत्र अंतर्गत स्थित निगमित एवं अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है ।

3. <u>जनकार्य दिवस की स्थिति</u> :-

अ वित्तीय वर्ष 2010-11 की जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

1/4/10 को अवशेष	2010-11 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2010-11 में संपादित कार्य	31/03/2011 को अवशेष
229457	72710	302167	24007	278160

ब वित्तीय वर्ष 2011-12 में जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

1/4/2011 को अवशेष	2011-12 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2011-12 में संपादित कार्य (31.12.2011 तक)	31/12/2011 को अवशेष
278160	74612	352772	25658	327114

4. संपरीक्षा शुल्क :-

अ. 2010-11 से संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

		आंकड़े करोड़ ` में
1	अप्रैल 2010 को प्रारंभिक शेष	14.17
2	1/4/2010 से 31/3/2011 तक मांग	01.69
3	कुल मांग मार्च 2011 तक	15.86
4	कुल वसूली मार्च 2011 तक	01.76
5	दिनांक 31.3.2011 को अवशेष	14.10

ब. 2010-11 से संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

		आंकड़े करोड़ ` में
1	1/4/2011 को प्रारंभिक शेष	14.10
2	वर्ष 2011-12 की मांग माह दिसंबर 2011 की स्थिति में	02.03
3	कुल मांग दिसंबर 2011 की स्थिति में	16.13
4	कुल वसूली दिसंबर 2011 की स्थिति में	0.78
5	दिनांक 31.12.2011 को अवशेष	15.35

5. संपरीक्षा प्रतिवेदन :-

वर्ष 2010-11 में विभिन्न संस्थाओं/ निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

अ वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार थी:-

1/4/10 को प्रसारण हेतु लंबित प्रति	2010-11 में प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2010-11 में प्रसारित प्रतिवेदन	31/03/2011 को अवशेष
265	545	810	746	64

ब वित्तीय वर्ष 2011-12 (दिनांक 31 दिसम्बर 2011 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार है :-

1/4/2011 को अवशेष	2011-12 (माह दिसंबर 2011) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2011-12 में (माह दिसंबर 2011) प्रसारित प्रतिवेदन	31/12/2011 को अवशेष
64	362	426	306	120

6. निराकृत आपत्तियां :-

वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं माह दिसम्बर 2011 की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थी :-

अ वित्तीय वर्ष 2010-11 की स्थिति में :-

अर्थ वर्ष	प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्ति संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	निराकृत आडिट आपत्ति संख्या	अवशेष आडिट आपत्ति संख्या
2010-11	192136	13901	206037	1712	204325

ब वित्तीय वर्ष 2010-11 की स्थिति में :-

अर्थ वर्ष	प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्ति संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	निराकृत आडिट आपत्ति संख्या	अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	सन्निहित राशि `
2011-12	204325	6889	211214	1046	210168	31483084762

टीप:- राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय यथा नगर निगम, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था स्थगित करने के कारण इन निकायों से आपत्ति निराकरण संतोषप्रद नहीं होने से अवशेष आपत्ति अधिक दृष्टिगत है ।

7. स्थानीय निकायों के आय-व्यय -

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिन निकायों की संपरीक्षा की गई उनके आय-व्यय के आंकड़े निम्नानुसार रहे :-

अ वित्तीय वर्ष 2010-11 की स्थिति में :-

आय - ` 37830604080.00

व्यय - ` 33828997286.00

ब. वित्तीय वर्ष 2011-12 (दिसंबर 2011) की स्थिति में

आय - ` 22080364164.00

व्यय - ` 19452128150.00

अंकेक्षण के समय एवं प्रतिवेदनों में लगातार आपत्ति लिये जाने के बाद भी अधिकांश स्थानीय संस्थाओं में यथा समय आय-व्यय पत्रक तैयार करने एवं सक्षम स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त करने के प्रति अपेक्षित अभिरूचि का अभाव दृष्टिगत हुआ । साथ ही संतुलित बजट तैयार नहीं किये जाने की प्रवृत्ति यथावत बनी हुई है । बजट प्रावधानों से अधिक व्यय सामान्यत: पाया गया । बजट पुनर्विनियोजन करके नियमित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं किया जाना परिलक्षित हुआ ।

8. <u>प्रभक्षण :-</u>

लेखा नियमों में अवहेलना तथा स्थानीय निधि के उचित समय में शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :-

दिनांक 31.12.2011 तक प्रकरणों की संख्या	प्रकरण में सन्निहित राशि `
1518	47673809.00

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष में प्रभक्षण से संबंधित प्रमुख आपत्तियों का उदाहरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	निकाय का नाम	वर्ष	विवरण	राशि `
1	नगर पंचायत सिरगिट्टी	अक्टूबर 08 से 2009-10	समाज कल्याण योजना की शेष राशि का जमा न होना दुरूपयोग संभव	10860.00
2	ग्राम पंचायत डिघोरा, पथरिया	2008-09 से 2009-10	बर्हिगामी सरपंच द्वारा नगर प्रभार में नहीं दिया जाना अनियमित	522738.00
3	ग्राम पंचायत अमीकांपा, पथरिया	2003-04 से 2009-10	सरपंच द्वारा राशि प्रभार में नहीं दिया जाना	288429.00
4	नगर पालिका परिषदखरसिया	2008-09 से 2009-10	मनीबैल्यू पासेस की राशि वापस न कर एवं न ही राशि जमा कर प्रभक्षण किया गया	282150.00
5	जनपद पंचायत पाली जिला कोरबा	2004-05 से 2009-10	जलाशय लीज की राशि निधि में जमा न कर प्रभक्षण किया गया	435956.00
6	नगर पंचायत बलरामपुर	2006-07 से 2009-10	पर्यावरण शुल्क वसूली राशि निधि में जमा नहीं होना पाया गया	14400.00
7	जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर	2007-08 से 2009-10	गबन के कारण लंबित मजदूरी भुगतान की राशि वसूली अपेक्षित	435944.00
8	ग्राम पचांयत सोरगा	2003-04 से 2010-11	विभिन्न मद की राशि आहरण कर संभावित प्रभक्षण	1648986.00
9	ज.पं. बीजापुर	1997-98 से 10-11	सेल्फ चेक से आहरित राशि की रोकपुस्त में प्रविष्टि न कर प्रभक्षण	32575.00

10	ग्रा.पं. किवईबालेंगा	2010–11	आहरित राशि की कैशबुक में प्रविष्टि न कर प्रभक्षण	390000.00
11	नगर पंचायत शिवरीनारायण	2010–11	निर्यात कर से प्राप्त आय का प्रभक्षण	27760.00
12	नगर पंचायत नवागढ़	2009–10	संग्रहित राशि को निधि में जमा न किया जाना	13494.00
13	नगर पंचायत नवागढ़	2009–10	निधि का संभावित दुरूपयोग	275230.00
14	नगर पंचायत नवागढ़	2009–10	निधि का दुरूपयोग	187770.00
15	नगर पंचायत नवागढ़	2009–10	मद का दुरूपयोग	168000.00
16	नगर पचांयत अंतागढ़	2008–09 से 2009–10	आ.क्र. 07– रसीद पुस्तकों का दूरूप्रयोजन कर संभाावित प्रभक्षण	459980.00
17	नगर पचांयत अंतागढ़	2008–09 से 2009–10	आ.क्र. 09– रसीदों द्वारा वसूल की गई राशि न जमा कर प्रभक्षण	129897.00
18	जनपद पचांयत फरसगांव	2004–05 से 2009–10	आ.क्र. 09– रोक पुस्त में नगर शेष कम कर प्रभक्षण	47055.00
19	ग्राम पंचायत गोरिया ज. पं. कुनकुरी	2010–11	बैंक से राशि आहरण कर कैशबुक में दर्ज नहीं किया जाना	48908.00
20	जनपद पचांयत पाली			

9. अधिभार :–

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जो किसी अधिकारी /कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैधानिक व्यय हुआ हो, ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है । ऐसे अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :–

अ. वित्तीय वर्ष 2010–11 की स्थिति में :–

क	**प्रकरण का विवरण**	**संख्या**	**सन्निहित राशि ` **	**निराकृत संख्या**	**अवशेष संख्या**	**अवशेष राशि ` **
1	अधिभार आरोप पत्र	01	63500.00	-	01	63500.00
2	अधिभार सूचना	01	33600.00	-	01	33600.00
3	अधिभार आदेश	-	-	-	-	-
4	मांग प्रमाण पत्र	-	-	-	-	-

ब. वित्तीय वर्ष 2011-12 (दिनांक 01.04.10 से 31.12.2011) की स्थिति में :-

क	प्रकरण का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि `	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि `
1	अधिभार आरोप पत्र	02	53,024.00	--	02	53,024.00
2	अधिभार सूचना	01	10,11,300.00	--	01	10,11,300.00
3	अधिभार आदेश	01	33600.00	--	01	33600.00
4	मांग प्रमाण पत्र	02	48209.00	--	02	48209.00

महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी :-

संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी कुछ महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

10. क्षति/हानि संबंधी अनियमिततायें :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी क्षति/ हानि संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका कमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि `
1	2	3	4	5	6
1.	छ.ग. श्रम कल्याण मंडल रायपुर	2007-08 से 2009-10	07	आर.आर.सी. प्रकरणों के विरूद्ध कार्यवाही एवं वसूली अपेक्षित	18718060.00
2.	नगरपालिका परिषद तिल्दानेवरा	2003-04 से 2005-06	11	छ.ग. राज्य भंडार निगम तिल्दानेवरा संपत्तिकर एवं समेकितकर निर्धारण में अनियमितता से कर अपवंचन से आर्थिक क्षति	973878.00
3.	नगर पचांयत अकलतरा	2009-10	7	बकाया मांग की वसूली अपेक्षित	2293804.00
4.	नगर पचांयत तखतपुर	2009-10	18	विभिन्न नीलामी की बकाया राशि अपेक्षित	942342.00
5.	जनपद पंचायत बिल्हा	2010-11	4	जलाशय लीज बकाया	171925.00
6.	ग्राम पंचायत सोनबचरवारा, पेण्ड्रा	2003-04 से 2010-11	6	मवेशी बाजार ठेका राशि वसूली अपेक्षित	201100.00

7.	न.पा.नि. भिलाई	08–09	6	भिलाई इस्पात संयत्र के स्वामित्व के आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों पर समेकित कर भारित न किये जाने से आर्थिक क्षति	79215400.00
8	न.पा.नि. भिलाई	08–09	7	भिलाई इस्पात संयत्र से निर्धारित वार्षिक देय सम्पत्तिकर से कम राशि वसूली से आर्थिक क्षति	85528618.00
9	न.पा.नि. भिलाई	08–09	8	त्रुटिपूर्ण सम्पत्ति कर निर्धारण व अधिभार वसूल न किये जाने से आर्थिक क्षति	3153994.00
10.	न.पा.नि. भिलाई	08–09	10	अकाश गंगा व्यावसायिक परिसर का दुकान किराया अनुबंध शर्तनुसार समय में वसूल न करने से आर्थिक क्षति	3757885.00
11.	न.पा.नि. भिलाई	2009–10	27	चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में बिना निर्धाश्रण के विविध मदों में कटौती	473356860
12.	ज.पं. कटेकल्याण	98–99 से 09–10	19	ठेकेदारों के देयकों से आयकर एवं वाणिज्यकर की राशि कटौती का अभाव	256168.00
13.	ज.पं. कटेकल्याण	98–99 से 09–10	6	वनधन समितियों को वनोपज क्रय हेतु राशि प्रदान कर आर्थिक क्षति	55000.00
14.	ज.पं. कटेकल्याण	98–99 से 09–10	7	भौगोलिक सूचना तंत्र की राशि ग्राम पंचायतों को प्रदाय किया जाना	459100.00
15.	जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर	2007–08 से 2009–10	–	दुकान किराया/गोबरी जलाशय लीज की राशि	209281.00
16.	कृषि उपज मण्डी समिति सूरजपुर	2006–07 से 2009–10	5	अनुज्ञप्ति नवीनीकरण नहीं किए जाने से आर्थिक क्षति	144900.00

17.	कृषि उपज मण्डी समिति सूरजपुर	2006-07 से 2009-10	6	निर्धारित अवधि पश्चात् जमा मण्डी शुल्क पर ब्याज की राशि वसूली योग्य	4187906.00

11. अनावश्यक एवं अनियमित व्यय :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान दृष्टिगत अनावश्यक एवं अनियमित व्यय संबंधी आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	2	3	4	5	6
1.	ज.पं. चारामा	03-04 से 09-10	4	राष्ट्रीय समविकास योजना मद से बर्तन क्रय	100000.00
2.	ज.पं. चारामा	03-04 से 09-10	15	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना मद से अनियमित क्रय पर व्यय	356900.00
3.	ज.पं. दुर्गकोंदल	05-06 से 09-10	7	हार्दिक शुभकामना विज्ञापन पर व्यय	48300.00
4.	ज.पं. दुर्गकोंदल	05-06 से 09-10	8	वाहन किराया पर अनियमित व्यय	181621.00
5.	ज.पं. छिदगढ़	03-04 से 09-10	6	विज्ञापन प्रकाशन पर व्यय	166500.00
6.	ज.पं. कटेकल्याण	98-99 से 09-10	4	हार्दिक शुभकामना विज्ञापन पर व्यय	90000.00
7.	ज.पं. कटेकल्याण	98-99 से 09-10	10	अन्य विभागों से स्वीकृत कार्य ठेकेदारों से कराया जाना	6630754.00
8.	ज.पं. कोण्टा	97-98 से 10-11	10	वाहन किराया पर अनियमित व्यय	64000.00
9.	ज.पं. कोण्टा	97-98 से 10-11	14	जनपद सदस्यों के भ्रमण पर यात्रा भत्ता का भुगतान अनियमित	25220.00
10.	ज.पं. दरभा	08-09 से 10-11	9	डीजल पर सीमा से अधिक व्यय	90022.00

11.	ज.पं. दरभा	08–09 से 10–11	11	ग्राम पंचायतों के भ्रमण पर व्यय	76500.00
12.	ज.पं. माकड़ी	09–10 से 10–11	9	वाहन किराया पर अनियमित व्यय	24800.00
13.	ज.पं. अंतागढ़	09–10 से 10–11	9	राशनकार्ड छपाई पर अनियमित व्यय	28000.00
14.	ज.पं. अंतागढ़	09–10 से 10–11	10	कैरोसीन प्रदाय पर व्यय	30559.00
15.	ज.पं. अंतागढ़	09–10 से 10–11	17	हार्दिक शुभकामना विज्ञापन पर व्यय	76000.00
16.	ज.पं. अंतागढ़	09–10 से 10–11	12	विज्ञापन प्रकाशन पर देयक के अभाव में व्यय अनियमित	34881.00
17.	ज.पं. अंतागढ़	09–10 से 10–11	15	बिल, नस्ती एवं स्टाक पंजी के अभाव में भुगतान संदिग्ध	3535560.00
18.	ज.पं. दंतेवाड़ा	1999–2000 से 10–11	6	विज्ञापन प्रकाशन पर अनियमित व्यय	39000.00
19.	ज.पं. दंतेवाड़ा	1999–2000 से 10–11	7	जिला पंचायत का बिल जनपद द्वारा भुगतान किया जाना अनियमित	34017.00
20.	ज.पं. दंतेवाड़ा	1999–2000 से 10–11	9	भूमि समतलीकरण पर ट्रेक्टर किराया का भुगतान अनियमित	500357.00
21.	ज.पं. दंतेवाड़ा	1999–2000 से 10–11	11	ग्रा.पं. टेकनार का भुगतान जनपद निधि से किया जाना अनियमित	352852.00
22.	ज.पं. दंतेवाड़ा	1999–2000 से 10–11	12	विभिन्न आयोजनों पर स्वल्पाहार पर व्यय	32670.00
23.	ज.पं. दंतेवाड़ा	1999–2000 से 10–11	6 (नरेगा)	ग्राम पंचायतो के अंकेक्षण हेतु शुल्क का भुगतान	16000.00
24.	ज.पं. दंतेवाड़ा	1999–2000 से 10–11	7 (नरेगा)	फ्लेक्स प्रिंटिग पर अधिक व्यय अनियमित	22790.00
25.	ज.पं. दुर्गूकोंदल	2010–11	5	निर्वाचन कार्य पर जनपद निधि से भुगतान	106872.00
26.	ज.पं. दुर्गूकोंदल	2010–11	6	वाहन किराया पर व्यय अनियमित	141353.00
27.	ज.पं. दुर्गूकोंदल	2010–11	7	विभिन्न अवसरों पर फोटोग्राफी पर व्यय अनियमित	87054.00

28.	ज.पं. चारामा	2010–11	13	देयकों के अभाव में व्यय अनियमित	22008.00
29.	ज.पं. चारामा	2010–11	10	देयक के अभाव में व्यय अनियमित	24456.00
30.	ज.पं. चारामा	2010–11	12	क्रय देयक व वितरण पावती के अभाव में व्यय संदेहास्पद	400000.00
31.	न.पं. गीदम	2010–11	13	विज्ञापन प्रकाशन पर व्यय	5000.00
32.	न.पं. गीदम	2010–11	14	राष्ट्रीय पर्व पर मिष्ठान्न वितरण पर व्यय	78660.00
33.	न.पा.प. कांकेर	09–10 से 10–11	13	विज्ञापन प्रकाशन पर अनावश्यक व्यय	79100.00
34.	न.पा.प. बचेली	2010–11	11	स्वल्पाहार पर अनियमित व्यय	189250.00
35.	न.पा.प. बचेली	2010–11	12	वाहन किराया पर अनियमित व्यय	377163.00
36.	न.पा.प. बचेली	2010–11	13	विज्ञापन प्रकाशन पर व्यय	172500.00
37.	न.पा.प. बचेली	2010–11	19	नियमों में प्रावधान के अभाव में सामग्री क्रय का भुगतान अनियमित	25155.00
38.	न.पा.प. बचेली	2010–11	20	मोबाइल रिचार्ज पर व्यय अमान्य	31391.00
39.	न.पा.प. बचेली	2010–11	22	कैमरा क्रय पर अनावश्यक व्यय	43960.00
40.	न.पा.प. किरन्दुल	2010–11	10	विभिन्न अवसरों पर स्वल्पाहार पर व्यय	23243.00
41.	न.पा.प. किरन्दुल	2010–11	11	हार्दिक अभिनंदन विज्ञापन पर व्यय	82000.00
42.	न.पा.प. किरन्दुल	2010–11	12	नवनिर्वाचित पार्षदों को आफिस किट प्रदाय पर व्यय	48006.00
43.	न.पा.प. किरन्दुल	2010–11	18	12 वें वित्त आयोग के तहत ठोस अपशिष्ट निपटान कार्य में अधिक भुगतान	25564.00
44.	न.पं. सुकमा	2010–11	8	हार्दिक अभिनंदन विज्ञापन पर अनियमित व्यय	43000.00
45.	न.पं. बारसूर	2010–11	6	हार्दिक अभिनंदन विज्ञापन पर अनियमित व्यय	56500.00
46.	न.पं. बारसूर	2010–11	7	मकान नंबर प्लेट पर व्यय	39020.00
47.	न.पं. नरहरपुर	09–10 से 10–11	6	वाहन किराया पर अनियमित व्यय	60000.00

48.	न.पं. नरहरपुर	09–10 से 10–11	9	कार्यालयीन फर्नीचर एवं कंप्यूटर क्रय पर अनियमित व्यय	149500.00
49.	न.पं. नरहरपुर	09–10 से 10–11	11	गणतंत्र दिवस व अन्य अवसरों पर व्यय	67638.00
50.	न.पं. नरहरपुर	09–10 से 10–11	15	विज्ञापन प्रकाशन पर अनियमित व्यय	305000.00
51.	न.पं. पखांजूर	2010–11	13	निविदा प्रपत्र की मूल्य वापसी भुगतान अनियमित	12000.00
52.	न.पं. विश्रामपुरी	2010–11	6	वाहन किराया पर अनियमित व्यय	273157.00
53.	न.पं. विश्रामपुरी	2010–11	12	विज्ञापन प्रकायन पर अनियमित व्यय	51000.00
54.	न.पं. चारामा	2010–11	11	मूल रसीद के अभाव में अमानत राशि का भुगतान अनियमित	24000.00
55.	न.पं. चारामा	2010–11	12	भागीरथी नल जल योजना के तहत अनियमित भुगतान	256680.00
56.	ग्रा.पं. खंडाम	08–09 से 10–11	6	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
59.	ग्रा.पं. बोरगांव	08–09 से 10–11	10	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
60	ग्रा.पं. बनजुगानी	08–09 से 10–11	7	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
61	ग्रा.पं. मुनगापदर	09–10 से 10–11	7	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
62	ग्रा.पं. चिमड़ी	08–09 से 10–11	6	मूलभूत मद से बर्तन क्रय पर अनियमित व्यय	26000.00
63	ग्रा.पं. सोनारपाल	08–09 से 10–11	5	जनभागीदारी शिक्षक मानदेय का अनियमित भुगतान	25500.00

64	ग्रा.पं. सोनारपाल	08–09 से 10–11	6	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	60000.00
65	ग्रा.पं. बफना	09–10 से 10–11	4	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
66	ग्रा.पं. बफना	09–10 से 10–11	7	प्रमाणक के अभाव में व्यय संदिग्ध	30900.00
67	ग्रा.पं. करनपुर	08–09 से 10–11	8	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
68	ग्रा.पं. डोंगरीगुड़ा	08–09 से 10–11	5	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
69	ग्रा.पं. बम्हनी	09–10 से 10–11	4	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	90000.00
70	ग्रा.पं. बम्हनी	09–10 से 10–11	8	प्रमाणक के अभाव में व्यय संदिग्ध	140394.00
71	ग्रा.पं. बड़े भिरावण्ड	09–10 से 10–11	4	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
72	ग्रा.पं. बड़े भिरावण्ड	09–10 से 10–11	8	प्रमाणक के अभाव में व्यय संदिग्ध	272330.00
73	ग्रा.पं. इसलनार	08–09 से 10–11	10	प्रमाणक के अभाव में व्यय संदिग्ध	36705.00
74	ग्रा.पं. घोड़ागांव	08–09 से 10–11	5	राशन दुकान संचालन हेतु पंचायत निधि से व्यय अनियमित	56000.00
75	ग्रा.पं. घोड़ागांव	08–09 से 10–11	7	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
76	ग्रा.पं. घोड़ागांव	08–09 से 10–11	10	मूलभूत मद से बर्तन क्रय पर व्यय अनियमित	11999.00
77	ग्रा.पं. हितामेटा	03–04 से 09–10	8	पावती के अभाव में व्यय संदिग्ध	57000.00

78	ग्रा.पं. करंजी	09–10 से 10–11	5	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
79	ग्रा.पं. करंजी	09–10 से 10–11	9	इंदिरा आवास योजना मद से सामग्री क्रय का भुगतान	45900.00
80	ग्रा.पं. बड़े बेंदरी	09–10 से 10–11	5	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	150000.00
81	ग्रा.पं. बड़े बेंदरी	09–10 से 10–11	6	डिजीटल कैमरा क्रय पर अनियमित व्यय	11500.00
82	ग्रा.पं. कोकोड़ी	09–10 से 10–11	5	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
83	ग्रा.पं. कोकोड़ी	09–10 से 10–11	9	प्रमाणक के अभाव में व्यय संदिग्ध	63000.00
84	ग्रा.पं. बोलबोला	08–09 से 10–11	5	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
85	ग्रा.पं. बोलबोला	08–09 से 10–11	6	मूलभूत मद से टेंट क्रय अनियमित	15600.00
86	ग्रा.पं. बोलबोला	08–09 से 10–11	10	मूलभूत मद से टी0वी0 क्रय अनियमित	16500.00
87	ग्रा.पं. दहिकोंगा	08–09 से 10–11	4	प्रमाणक के अभाव में व्यय संदिग्ध	56000.00
88	ग्रा.पं. टेमरूगांव	08–09 से 10–11	5	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
89	ग्रा.पं. उमरगांव	08–09 से 10–11	4	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
90	ग्रा.पं. उमरगांव	08–09 से 10–11	6	पावती के अभाव में भुगतान संदिग्ध	32936.00
91	ग्रा.पं. कुकाड़ गारकापाल	08–09 से 10–11	7	मूलभूत मद से टेंट क्रय अनियमित	15600.00

92	ग्रा.पं. नवागांव	03–04 से 10–11	5	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
93	ग्रा.पं. कुधूर	03–04 से 10–11	5	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
94	ग्रा.पं. बांसगांव	08–09 से 10–11	4	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
95	ग्रा.पं. कुसमा	03–04 से 10–11	5	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
96	ग्रा.पं. दुर्गूकोंदल	03–04 से 10–11	8	विज्ञापन प्रकाशन पर व्यय अनियमित	37200.00
97	ग्रा.पं. कर्रामाड़	03–04 से 10–11	8	विज्ञापन प्रकाशन पर व्यय अनियमित	61728.00
98	ग्रा.पं. खचगांव	03–04 से 10–11	10	प्रमाणक के अभाव में भुगतान संदिग्ध	345520.00
99	ग्रा.पं. खचगांव	03–04 से 10–11	4	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30068.00
100	ग्रा.पं. रानापाल	03–04 से 10–11	6	12वें वित्त मद से शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु पीएचई को भुगतान अनियमित	30000.00
101	ग्रा.पं. भैराडीह	06–07 से 10–11	4	विज्ञापन प्रकाशन पर व्यय अनियमित	31500.00
102	नगर पंचायत कोटा	2009–10	–	12 वे वित्त आयोग की राशि का उपयोग अन्यकार्य में अनियमित	96116.00
103	नगर पंचायत कोटा	2009–10	–	पार्षद निधि से अन्य कार्य पर अनियमित व्यय वसूली योग्य	52000.00
104	नगर पंचायत राहौद	2009–10	14	निर्वाचित व्यय प्राप्ति अपेक्षित	72817.00
105	नगर पंचायत बिल्हा	2010–11	13	अभिनंदन/बधाई विज्ञापन पर अनियमित कम वसूली वांछित	31200.00

106	नगर पंचायत बिल्हा	2010-11	14	रायल्टी की राशि जमा अपेक्षित	227510.00
107	नगर पंचायत कोटा	2009-10	–	अभिनंदन प्रकाशन पर अनियमित व्यय वसूली अपेक्षित	69240.00
108	नगर पंचायत कोटा	2009-10	–	मोटर साईकिल अग्रिम का अनियमित भुगतान	50000.00
109	नगर पंचायत कोटा	2009-10	–	मध्याहन भोजन शेष की वापसी अपेक्षित	100329.00
110	नगरपंचायतशिवरीनारायण	2010-11	10	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के आबंटित दुकानी का किराया वसूली वांछित	71760.00
111	नगर पंचायत नवागढ	2009-10	21	श्री कन्हैया लाल सोनी को अनियमित भुगतान	337746.00
112	न.पा.नि. दुर्ग	08-09	26	बैटरी क्रय की अनियमितता वसूली अपेक्षित	676000.00
113	न.पा.नि. दुर्ग	08-09	27	टायर ट्यूब क्रय में अनियमितता	355310.00
114	न.पा.नि. दुर्ग	08-09	29	जलगृह विभाग में संदिग्ध सामग्री क्रय/मरम्मत कार्य की राशि वसूली योग्य	755527.00
115	न.पा.नि. दुर्ग	08-09	41	नियम विरुद्ध इनट टी शर्ट की राशि व्यय	46000.00
116	न.पा.नि. दुर्ग	08-09	42	नियम विरुद्ध एप्रान व गमछा क्रय राशि का अपव्यय	512437.00
117	न.पा.नि. दुर्ग	08-09	43	नेट बैग क्रय पा राशि की अनियमितता	135000.00
118	न.पा.नि. दुर्ग	08-09	44	नियम विरुद्ध वस्त्र वितरण पर अपव्यय	1468980.00
119	न.पा.नि. दुर्ग	08-09	46	प्रतिपूर्ति भुगतान राशि की अनियमितता	150768.00
120	न.पा.नि. दुर्ग	08-09	50	प्राप्ति एवं विवतरण पंजी, लॉग बुक के अभाव में पेट्रोल पर व्यय राशि वसूली योग्य	187781.00
121	न.पा.नि. दुर्ग	09-10	20	जल प्रदाय सामग्री पर संदिग्ध व्यय	1627021.00

122	न.पा.नि. दुर्ग	09–10	26	नियमों के विरुद्ध वस्त्र वितरण पर अनियमित अपव्यय	500000.00
123	न.पा.नि. दुर्ग	09–10	30	पार्षदो की अनुशंसा पर कार्य हेतु राशि के आबंटन के व्यय में अनियमितता	3181911.00
124	ज.पं. गुण्डरदेही मनरेगा	05–06 से 09–10	7	एम.आई.सी. भुगतान में अनियमितता वसूली अपेक्षित	254194.00
125	ज.पं. अंबागढ़ चौकी	08–09 से 09–10	7	अनियमित भुगतान की वसूली अपेक्षित	34421.00
126	न.पा.प. भिलाई चरौदा	2009–10	25	22 नग हैण्ड पंप कम्प्लीट बाडी सेट क्रय का निरर्थक व्यय	191400.00
127	न.पा.प. भिलाई चरौदा	2009–10	27	अध्यक्ष एवं मु.न.पा. अधिकारी के वाहन में निर्धारित मात्रा से अधिक डीजल खपत	69923.00
128	न.पा.नि. भिलाई	2008–09	15	शासन/बी.एस.पी. के स्वामित्व के भवनों पर व तालाब घाट निर्माण पर निगम/अद्योसंरचना मद से अनियमित व्यय	4631070.00
129	न.नि.भिलाई	2009–10	19	भवनों में बगैर शासन स्वीकृति/आबंटन के निगम निधि से अनियमित व्यय	1291029.00
130	न.पं. डोडीलोहारा	09–10 से 10–11	16	आर्किटेक्चर को अनियमित भुगतान	111622.00
131	जनपद पंचायत डोंगरगांव	99–2000 से 10–11	11	हार्दिक अभिनंदन विज्ञापन पर अनियमित भुगतान	102544.00
132	न.पं. चिखलाकसा	10–11	13	हार्दिक अभिनंदन विज्ञापन प्रकाशन पर अनियमित व्यय	147190.00
133	कृ.उ.म.स. कवर्धा	09–10 से 10–11	14	सक्षम स्वीकृति के अभाव में अनियमित भुगतान	119701.00
134	नगर पंचायत गुण्डरदेही	09–10 से 10–11	16	बिना भाव पत्र निविदा आमंत्रित किये बिना भंडार सामग्री का अनियमित भुगतान	106860.00

135	ज.पं. बालोद मनरेगा	08–09 से 09–10	8	एम.आई.एस. एन्ट्री भुगतान अनियमित	302305.00
136	ग्रा.पं. नकट्टी जिला दुर्ग मनरेगा	10–11	5	भाव पत्र आमंत्रित किये बिना सामग्री का अनियमित भुगतान	28638.00
137	ग्रा.पं. भरदा जिला दुर्ग मनरेगा	08–09 से 10–11	5	भाव पत्र आमंत्रित किये बिना सामग्री का अनियमित भुगतान	365872.00
138	ग्रा.पं.बोड़ेगांव जिला दुर्ग मनरेगा	08–09 से 10–11	5	भाव पत्र आमंत्रित किये बिना सामग्री का अनियमित भुगतान	263486.00
139	न.पं. पाण्डातराई	08–09 से 10–11	16	वाहन किराया का अनियमित भुगतान	30600.00
140	न.पं. पाण्डातराई	08–09 से 10–11	17	न.पं. उद्घाटन अभिनंदन विज्ञापन का अनियमित भुगतान	42500.00
141	न.पं. पाण्डातराई	08–09 से 10–11	18	हार्दिक विज्ञापन प्रकाशन पर अनियमित व्यय	30500.00
142	न.पं. पाण्डातराई	08–09 से 10–11	20	विज्ञापन संबंधी समाचार पत्र के अभाव में अप्रमाणित भुगतान	59983.00
143	न.पं. पाण्डातराई	08–09 से 10–11	21	पार्षद निधि से जल प्रदाय सामग्रियों के क्रय का अनियमित भुगतान	32517.00
144	न.पं. पाण्डातराई	08–09 से 10–11	24	निविदा आमंत्रण के बिना सामग्रियों का अनियमित भुगतान	87506.00
145	न.पं. अर्जुन्दा	08–09 से 10–11	22	अनियमित संदिग्ध भुगतान	86570.00
146	न.पं. अर्जुन्दा	08–09 से 10–11	27	विद्युत सामग्री का अनियमित भुगतान	478500.00
147	न.पं. अर्जुन्दा	08–09 से 10–11	28	विद्युत सामग्री का अनियमित भुगतान	193480.00
148	न.पं. अर्जुन्दा	08–09 से 10–11	29	विद्युत सामग्री का अनियमित भुगतान	180300.00
149	न.पं. अर्जुन्दा	08–09 से 10–11	30	विद्युत सामग्री का अनियमित भुगतान	128750.00

150	न.पं. अर्जुन्दा	08-09 से 10-11	38	समाचार पत्रो में विज्ञापन प्रकाशन का अनियमित भुगतान	108800.00
151	न.पं. अर्जुन्दा	08-09 से 10-11	39	श्रीमती कान्ता ताम्रकार को वास्तुविद शुल्क का अनियमित भुगतान	77102.00
152	न.पं. अर्जुन्दा	08-09 से 10-11	40	वाहन किराया का अनियमित भुगतान	205300.00
153	न.पं. अर्जुन्दा	08-09 से 10-11	41	लाग बुक के अभाव में वाहन मरम्मत एवं डीजल क्रय देयको का अनियमित व संदिग्ध भुगतान	72544.00
154	न.पा.प. दल्लीराजहरा	09-10 से 10-11	29	रैन बसेरा हेतु फर्नीचर सामग्री का अनियमित क्रय	90155.00
155	न.पा.प. दल्लीराजहरा	09-10 से 10-11	31	वाहन किराया भुगतान सक्षम स्वीकृति के अभाव में वसूली योग्य	77075.00
156	न.पं. नवागढ़	10-11	8	वाहन यात्रा का अनियमित भुगतान	52910.00
157	न.पं. नवागढ़	10-11	9	विज्ञापन प्रकाशन पर अनियमित भुगतान	85200.00
158	न.पं. नवागढ़	10-11	12	स्कंध पंजी प्रविष्टि के अभाव में अनियमित भुगतान	72554.00
159	न.पं. थानखम्हरिया	08-09 से 10-11	11	निविदा कार्यवाही का अभाव अनियमित भुगतान	1464645.00
160	न.पं. थानखम्हरिया	08-09 से 10-11	24	स्टाक प्रविष्टि के अभाव में विद्युत सामग्री क्रय का अनियमित भुगतान	834725.00
161	न.पं. थानखम्हरिया	08-09 से 10-11	26	दैनिक समाचार पर विज्ञापन प्रकाशन का अनियमित भुगतान	217250.00
162	नगर पंचायत पिथौरा	2006-07 से 2008-09	20	मस्टर रोल में श्रमिकों के वेतन का अनियमित भुगतान	10625560.00
163	नगर पालिक परिषद धमतरी	2009-10	16	जीआईपाईप, पीवीसी पाईप, क्रय से अनियमित भुगतान	239491.00

164	नगर पालिक निगम दुर्ग	2008-09	42	नियम विरूद्ध एप्रान व गमछा क्रय राशि का अपव्यय	512437.00
165	नगर पालिक निगम दुर्ग	2008-09	44	नियम विरूद्ध वस्त्र वितरण पर अपव्यय	1468980.00
166	नगर पालिक निगम दुर्ग	2009-10	30	पार्षदों की अनुशंसा पर कार्य हेतु राशि के आबंटन के व्यय में अनियमितता	3181911.00

12. **स्थापना संबंधी :-**

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शित स्थापना संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रं	**निकाय का नाम**	**वर्ष**	**अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क.**	**अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण**	**सन्निहित राशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	न.पा.नि. दुर्ग	2008-09	18	अंतरिम राहत का अनियमित भुगतान वसूली अपेक्षित	5046535.00
2.	न.पा.नि. दुर्ग	2008-09	63	नवीन अंशदायी पेंशन योजना में कटौती राशि का जमा का अभाव	3691060.00
3.	न.पा.नि. दुर्ग	2008-09	64	31.09.09 की स्थिति में सामान्य भविष्य निधि में जमा हेतु शेष	1004844.00
4.	न.पा.नि. दुर्ग	2009-10	19	न.पा.नि. दुर्ग के कर्मचारियों को अंतरित राहत का अनियमित भुगतान	5482577.00
5.	न.पा.नि. दुर्ग	2009-10	34	नवीन अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत की कटौती राशि का नियोक्ता अंशदान सहित जमा न किया जाना	5589450.00
6.	न.पा.नि. दुर्ग	2009-10	35	31.03.10 की स्थिति से सामान्य भविष्य निधि का जमा शेष	996629.00

7.	न.पा.प. भिलाई चरौदा	2009–10	17	छठवा वेतनमान के अन्तर्गत निकाय के कर्मचारियो को 20 प्रतिशत अंतरिम राहत का अनियमित भुगतान	1525041.00
8	न.पा.प. भिलाई चरौदा	2009–10	18	नियमितीकरण के अभाव में कार्य भारित स्थापना में पदस्थ कर्मचारियों को अनियमित वेतन का भुगतान	626623.00
9	न.पा.नि. भिलाई	2008–09	18	शासन की सक्षम स्वीकृति के बिना निगम अधिकारी व कर्मचारियो को चिकित्सा व वाहन भत्तो का अनियमित भुगतान	4402944.00
10	न.पा.नि. भिलाई	2008–09	19	निगम कर्मचारियों को अंतरिम राहत का अनियमित भुगतान	704142.00
11	न.पा.नि. भिलाई	2008–09	20	कार्यभारित/अकस्मिक स्थापना मे पदो की स्वीकृति के अभाव मे अनियमित भुगतान	29855215.00
12	न.पा.नि. भिलाई	2009–10	15	निगम कर्मचारियो को छठवें वेतनमान के विरुद्ध अंतरिम राहत का अनियमित भुगतान	7319556.00
13	न.पा.नि. भिलाई	2009–10	16	शासन के स्वीकृति बिना अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वाहन, चिकित्सा भत्ताा का अनियमित भुगतान	683773.00
14	न.पा.नि. भिलाई	2009–10	अ	शासन के स्वीकृति बिना अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ताा का अनियमित भुगतान	5123638.00
15	न.पा.नि. भिलाई	2009–10	ब	शासन के स्वीकृति बिना अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वाहन भत्ताा का अनियमित भुगतान	1714135.00
16	न.पा.नि. भिलाई	2009–10	24	कार्य भारित/आकस्मिक पदो की स्वीकृति के अभाव में अनियमित भुगतान	5547864.00

17	न.पं. गुण्डरदेही	09–10 से 10–11	13	नगर पंचायत के कर्मचारियों को अंतरित राहत का अनियमित भुगतान	128594.00
18	न.प.डोगरगांव	09–10 से 10–11	20	न.पा. के नियमित कर्मचारियो के भविष्य निधि कटौती का भविष्य निधि खाता में जमा अपेक्षित	1481522.00
19	न.पं. पाण्डातराई	08–09 से 10–11	15 अ	दैनिक वेतन कर्मचारियो की नियुक्ति कर अनियमित भुगतान	934424.00
20	न.पं. पाण्डातराई	08–09 से 10–11	ब	दैनिक वेतन पर सफाई कर्मियों को वेतन का अनियमित भुगतान	737502.00
21	न.पं. गण्डई	07–08 से 10–11	11	अंतरिम राहत का अनियमित भुगतान	293407.00
22	न.पा.प. दल्लीराजहरा	09–10 से 10–11	20	मस्टर रोल सफाई कर्मचारियों को अनियमित भुगतान	738204.00
23	न.पा.प.जामुल	09–10 से 10–11	21	चिकित्सा भता एवं वाहन भत्ता का अनियमित व्यय	98800.00
24	न.पा.प.जामुल	09–10 से 10–11	22	नगर पालिका परिषद कर्मचारियों को अतरिम राहत का अनियमित भुगतान	299561.00
25	न.पा.प.भिलाई चरोदा	10–11	18	कार्यभारित स्थापना में पद स्वीकृति के अभाव में पदस्थ चार कर्मचारियों का वेतन भुगतान अनियमित	472215.00
26	न.पा.प.भिलाई चरोदा	10–11	19	रिक्त पद के अभाव में श्रीमती चन्द्रकांति साहू को सहायक वर्ग 3 के पद पर नियमितिकरण अनियमित एवं भुगतान अनियमित	114494.00
27	ज.पं. कोण्टा	97–98 से 10–11	13	त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर अधिक भुगतान	30982.00
28	ज.पं. अंतागढ़	09–10 से 10–11	8	विकासखण्ड कार्यालय को ग्राम सहायकों के वेतन हेतु भुगतान	30894.00
29	ज.पं. दंतेवाड़ा	1999–2000 से 10–11	5	वेतन निर्धारण में त्रुटि कर अधिक भुगतान	92077.00

30	ज.पं. दंतेवाड़ा	1999–2000 से 10–11	4	सचिव मानदेय का दोहरा भुगतान	66000.00
31	न.पा.प. कांकेर	09–10 से 10–11	9	महंगाई भत्ते का अधिक भुगतान	12174.00
32	न.पं. नरहरपुर	09–10 से 10–11	5	मनीराम जयसवाल, मु.न.पा.अ. को वेतन का अनियमित भुगतान	152034.00
33	न.पं. विश्रामपुरी	2010–11	5	मु.न.पा.अ. एन.एस. वट्टी को 6वें वेतनमान एरियर्स का अनियमित भुगतान	273157.00
34	नगर पंचायत खरोरा	2008–09	17	दैनिक वेतनभोगीयों की नियुक्ति की स्वीकृति अभिलेख प्रस्तुत नहीं	407895.00
35	नगर पालिक निगम रायगढ़	2008–09	37	विभिन्न कार्य हेतु दैनिक वेतन कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान	1912078.00

13. <u>निर्माण कार्य संबंधी अनियमिततायें :-</u>

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी निर्माण कार्य संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क	**निकाय का नाम**	**वर्ष**	**अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.**	**अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण**	**सन्निहित राशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	नगर पंचायत अभनपुर	2009–10	42	आईएचएसडीपी योजनान्तर्गत निर्माण देयकों से अधिक भुगतान	318366.00
2.	नगर पंचायत अभनपुर	2009–10	46	वार्ड 1,2,3 में सीसीरोड एवं नाली निर्माण कार्य के देयकों में अनियमित व अधिक भुगतान	509179.00
3.	नगरनिगम दुर्ग	2008–09	24	बिना सक्षम स्वीकृति के नजूल भूमि पर सामुदायिक भवन निर्माण पर ब्यय राशि वसूली योग्य	885969.00

4.	नगरनिगम दुर्ग	2008–09	32	मोहन नगर वार्ड 12 में सामुदायिक भवन निर्माण पर ब्यय राशि वसूली योग्य	885969.00
5.	नगर पालिका परिषद भिलाई चरौदा	2009–10	17	रावण तालाब सौंदर्यकरण देयक में अधिक भुगतान	348967000.00
6.	नगर पालिका परिषद भिलाई चरौदा	2011–11	22	सांस्कृतिक भवन योजनान्तर्गत वार्ड नं. 16 भिलाई 3 में मंगल भवन का विस्तारिकरण कार्य अपूर्ण व अनियमित व्यय	3922443.00
7.	ग्राम पंचायत ननकटी जिला दुर्ग	2010–11	12	निर्माण कार्य संबंधी अनियमितता	2082859.00
8.	नगर पंचायत तखपुर	2009–10	–	गौरवपथ अंतर्गत रोड डामरीकरण कार्यपर राज्यसरकार की स्वीकृति अपेक्षित	5073534.00
9.	नगरपंचायत सिरगिट्टी	अक्टू. 08 से 2009–10	–	नाली और सीसीरोड़ निर्माण में अधिक व्यय वसूली वांछित	161482.00
10.	जनपद पंचायत बिल्हा	2010–11	16	ग्राम पंचायत बोड़सरा बहुउद्देशीय शेड निर्माण की प्रदत्त राशि वापसी अपेक्षित	120000.00
11	जनपद पंचायत बिल्हा	2010–11	22	ग्राम पंचायत बुंदेला को रासायनिक खाद गोदान निर्माण को मूल्यांकन से अधिक भुगतान	71008.00
12	ग्राम पंचायत कापन अकलतरा	2005–06 से 2010–11	–	इंदिरा आवास निर्माण में अनियमित भुगतान	443600.0
13	ग्राम पंचायत पथरिया	2003–04 से 2007–08	–	इंदिरा आवास निर्माण में अनियमित भुगतान	205900.0
14	नगर पंचायत बलरामपुर	2006–07 से 2009–10	–	प्रतीक्षा बस स्टैण्ड निर्माण कार्य के भुगतान में अनियमितता	4399116.00
15	नगर पालिक निगम रायगढ़	2008–09	24	122 छोटे निर्माण कार्यो पर अनियमित भुगतान	8636572.00

16	नगर पचांयत सारंगढ़	2008–09 से 2009–10	18	विरांगाना लक्ष्मीबाई व्यवसायिक परिसर निर्माण कार्य में अनियमित एवं अधिक भुगतान	3134442.00
17	जनपद पंचायत पाली	2004–05 से 2009–10	23	ग्राम पंचायत मुरली में फूलसिंह घर से कासमकाना घर तक सीसीरोड निर्माण का तिहरा/फर्जी भुगतान	698638.00
18	जनपद पंचायत बगीचा	2005–06 से 2009–10	35	आवास निर्माण में राशि का दुरूपयोग संभावित	5870000.00
19	जनपद पंचायत दरभा	2008–09 से 2010–11	8	विभिन्न निर्माण कार्यो में अधिक भुगतान	133117.00
20	नगर पालिका परिषदकिरंदुल	2010–11	20	आरसीसी नाली निर्माण में अधिक भुगतान	267648.00
21	नगर पचांयत सुकमा	2010–11	5	लोहे का दर अधिक दिए जाने से अधिक भुगतान	186749.00
22	नगर पालिका परिषदबचेली	2010–11	16	निर्माण कार्य के देयकों में गणना त्रुटिकर अधिक भुगतान	29343.00

18. **<u>कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली अपेक्षित:-</u>**

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा प्रतिवेदन में निकायों द्वारा कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली तत्परतापूर्वक यथासमय नहीं किये जाने से कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली भारी मात्रा में बकाया है । विवरण निम्नानुसार है :-

क	**निकाय का नाम**	**वर्ष**	**अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क**	**अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण**	**सन्निहित राशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	नगर पंचायत बिल्हा	2010–11	15	करों की बकाया राशि वसूली अपेक्षित	591000.00
2.	नगर पंचायत कोटा	2009–10	5	कर एवं किराया बकाया	1516971.00
3.	नगर पंचायत पेण्ड्रा	2009–10	–	बकाया मांग कर किराया वसूली अपेक्षित	1580000.00
4.	नगर पंचायत अकलतरा	2009–10	7	बकाया मांग की वसूली वांछित	2293804.00
5.	जनपद पंचायत बिल्हा	2010–11	4	जलाशय लीज बकाया	171925.00

6.	ग्राम पंचायत सोनबचरवार, पेण्ड्रा	2003–04 से 2010–11	–	बाजार, मवेशी, तालाब ठेका की बकाया राशि	271800.00
7.	ग्राम पंचायत मेउ, पमगढ़	2006–07 से 2010–11	–	तालाब लीज की वसूली राशि	183893.00
8.	जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर	2007–08 से 2010–11	–	दुकान किराया/जलाशय लीज की राशि वसूली अपेक्षित	209281.00
9.	कृषि उपज मण्डी सूरजपुर	2006–07 से 2009–10	–	अनुज्ञप्ति नवीनीकरण, मण्डी शुल्क पर ब्याज की राशि वसूली अपेक्षित	4332806.00
10.	नगरपालिक निगम रायगढ़	2008–09	06	संपत्ति कर, समेकित कर बकाया वसूली अपेक्षित	5613000.00
11.	नगरपालिक निगम रायगढ़	2008–09	14	दुकानों की मांग वसूली बकाया	1620284.00
12.	नगरपालिका परिषद जशपुरनगर	2006–07 से 2009–10	05	बाजार एवं वार्षिक मेला की ठेका राशि बकाया	239500.00
13.	नगरपालिका परिषद जशपुरनगर	2006–07 से 2009–10	09	विशिष्ट कम्यूनिटी हाल एवं संस्कृति भवन ठेका राशि की वसूली अपेक्षित	647000.00
14.	जनपद पंचायत बगीचा	2005–06 से 2009–10	09	दुकान किराया वसूली अपेक्षित	781956.00
15.	जनपद पंचायत बगीचा	2005–06 से 2009–10	10	प्रीमियम बकाया राशि वसूली अपेक्षित	687000.00
16.	जनपद पंचायत पाली	2004–05 से 2009–10	33	ग्राम पंचायत को निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त राशि से कम मूल्यांकन होने से वसूली/समायोजन अपेक्षित	909983.00
17.	कृ.उ.मं. समिति रायगढ़	2008–09 से 2009–10	09	मण्डी शुल्क बकाया	23365337.00
18.	नगर पालिका परिषदधमतरी	2008–09	5	करों का बकाया मांग	5200000.00

19.	नगर पालिका परिषदधमतरी	2008–09	9	तालाब लीज बकाया	288575.00
20.	नगरपालिका परिषदतिल्दानेवरा	2003–04 से 2005–06	9	कर बकाया	10338512.00
21.	नगर निगम भिलाई	2008–09	5	विभिन्न कर की मांग वसूली शेष	47612000.00
22.	नगर निगम भिलाई	2009–10	12	विभिन्न कर की मांग वसूली शेष	67493000.00
23.	कृ.उ.मं.समिति कर्वधा	2009–10 से 2010–11	5	विगत वर्षो की मण्डी शुल्क हेतु आरसीसी वसूली अपेक्षित	105356075.00
24.	नगर पालिका परिषदडोंगरगांव	2009–10 से 2010–11	6	विभिन्न कर की मांग वसूली शेष	5365000.00
25.	नगर पालिका परिषददल्लीराजहरा	2009–10 से 2010–11	7 अ	महाप्रबंधक राजहरा माईस के मकानों पर त्रुटिपूर्ण संपत्तिकर निर्धारण के कारण 31.03.2011 को वसूली योग्य	34646740.00

1. दायित्व निर्वहन में शिथिलता :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि स्थानीय निकायों द्वारा दायित्व निर्वहन में शिथिलता बरती जा रही है । जिससे निकायों के दायित्व में सतत् वृद्धि होती जा रही है । दायित्व निर्वहन में शिथिलता से संबंधित उदाहरण निम्नानुसार है :-

क	**निकाय का नाम**	**वर्ष**	**अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.**	**अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण**	**सन्निहित राशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	कृ.उ.मं.समिति रायगढ़	2008–09 से 2009–10	23	निर्माण कार्य देयकों से कटौती की गई गौण खनिज रायल्टी की राशि शासनके निर्धारित मद में जमा न किया जाना	1083893.00

2.	जनपद पचांयत बगीचा	2005–06 से 2009–10	23	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का अन्य मद में व्यय किए जाने से दुरूपयोग	8000000.00
3.	जनपद पचांयत बगीचा	2004–05 से 2009–10	06	शासनके विभिन्न विभागों से प्राप्त राशि लेखापाल केशबुक में दर्ज न किया जाना	61158326.00
4.	नगर पंचायत अभनपुर	2009–10	56	शासनद्वारा निर्धारित रायल्टी राशि की कटौती/वसूली योग्य	266333.00
5.	नगर पंचायत अभनपुर	2009–10	59	आयकर का शासनकोष में जमा का अभाव	387820.00
6.	नगर पंचायत अभनपुर	2009–10	60	वाणिज्यकर का शासनकोष में जमा का अभाव	357270.00
7.	नगर पंचायत अभनपुर	2009–10	61	रायल्टी राशि का शासनकोष में जमा का अभाव	569785.00
8.	नगर पंचायत खरोरा	2008–09	43	रायल्टी राशि का शासनकोष में जमा का अभाव	217963.00
9.	नगर पंचायत कसडोल	2008–09 से 2009–10	16	आयकर, वाणिज्यका, रायल्टी राशि का शासनकोष में जमा का अभाव	185811.00
10.	नगर पालिका परिषदजामुल	2009–10 से 2010–11	19	निर्माण कार्य देयकों से वाणिज्य कर राशि कटौती के अभाव में शासनधन की व्यय वसूली योग्य	51455.00
11.	नगर पंचायत छुरीकला	2008–09 से 2009–10	41	आयकर, वाणिज्यका, रायल्टी राशि का शासनकोष में जमा का अभाव	433910.00
12.	नगर पालिकापदिषद कांकेर	2009–10 से 2010–11	8	देयकों से उपकर कटौती का अभाव	724251.00
13.	ग्राम पंचायत घोड़ागांव	2008–09 से 2010–11	11	वेट/रायल्टी कटौती न किया जाना	125229.00
14.	नगर पंचायत गीदम	2010–11	16	आयकर/वाणिज्यकर कटौती का अभाव	53544.00
15.	नगर पालिका परिषदबारसूर	2010–11	10	निर्माण कार्यो से टीडीएस कटौती का अभाव	44338.00

16. ग्राम पंचायतों के संबंध में विशेष :-

वित्तीय वर्ष 2010-11 में 327 ग्राम पंचायतों के कुल लेखा वर्ष 1255 वर्षों के अंकेक्षण किया गया एवं वर्ष 2011-12 में 161 ग्राम पंचायतों के कुल लेखा वर्ष 588 वर्षों के अंकेक्षण किया गया।

स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण प्रारंभ किये जाने के बाद प्राय: प्रतिवेदनों में आपत्तियां दृष्टिगत हुई कि भूतपूर्व सरपंच/ पदाधिकारियों द्वारा नगद राशि अनियमित रूप से रखा जाना तथा वर्तमान सरपंच द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 के नियम 18 अनुसार नगद सिलक की निर्धारित सीमा ` 2,500.00 से अधिक रखा जाना पाया गया है । प्रभार हस्तांतरण में नगद राशि हस्तांतरित नहीं किये जाने एवं निर्धारित सीमा से अधिक नगद रखे जाने से दुर्विनियोजन की प्रबल संभावना होती है जिसका विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम पंचायत जमरगी बी	2003-04 से 2008-09	09	वर्तमान सरपंच/सचिव द्वारा नगर सिलक निर्धारित सीमा से अधिक रखा जाना	113607.00
2	ग्राम पंचायत रानीकोंबो	2003-04 से 2008-09	13	वर्तमान सरपंच/सचिव द्वारा नगद सिलक निर्धारित सीमा से अधिक रखा जाना	168300.00
3	ग्राम पंचायत बटुराबहार	2003-04 से 2008-09	9	वर्तमान सरपंच/सचिव द्वारा नगद सिलक निर्धारित सीमा से अधिक रखा जाना	189633.00
4	ग्राम पंचायत सिलदहा (कोटा)	2010-11	31.01.2011	वर्तमान सरपंच/सचिव द्वारा नगद सिलक निर्धारित सीमा से अधिक रखा जाना	106214.00
5	ग्राम पंचायत नवागांव (कर्रा) कोटा	2006-07 से 2010-11	09.03.2011	वर्तमान सरपंच/सचिव द्वारा नगद सिलक निर्धारित सीमा से अधिक रखा जाना	275798.00

6	ग्राम पंचायत सोढार मुंगेली	2010–11	26.07.2010	वर्तमान सरपंच/सचिव द्वारा नगद सिलक निर्धारित सीमा से अधिक रखा जाना	177943.00
7.	ग्राम पंचायत पेंड्री(स) पथरिया	2007–08 से 2009–10	31.03.2010	वर्तमान सरपंच/सचिव द्वारा नगद सिलक निर्धारित सीमा से अधिक रखा जाना	297733.00
8.	ग्राम पंचायत अमलीकांपा पथरिया	2003–04 से 2009–10	26.12.2009	वर्तमान सरपंच/सचिव द्वारा नगद सिलक निर्धारित सीमा से अधिक रखा जाना	126068.00
9.	ग्राम पंचायत सोरगा	2003–04 से 2010–11	25.08.2008	वर्तमान सरपंच/सचिव द्वारा नगद सिलक निर्धारित सीमा से अधिक रखा जाना	76843.00
10.	सीनापाली देवभोग	2003–04 से 2008–09	17	मध्यान भोजन किराना समान बिल के अभाव में भुगतान	64174.00
11.	सिहावा नगरी	2003–04 से 2008–09	06	करों की बकाया मांग	36286.00
12.	ग्राम पंचायत गोढ़ी धमधा	2008–09 से 2009–10	19	शासनसे प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय की स्वीकृति अपेक्षित	304503.00
13.	ग्राम पंचायत बोड़ेगांव वि.खं. दुर्ग	2008–09 से 2010–11	16	शासनसे प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय की स्वीकृति अपेक्षित	128871.00
14.	ग्राम पंचायत बुड़ेना	2003–04 से 2009–10	–	इंदिरा आवास योजनान्तर्गत हितग्राहियों को पात्रता से अधिक भुगतान वसूली योग्य	55000.00
15.	ग्राम पंचायत मेउ, पामगढ़	2006–07 से 2010–11	–	चौकीदार को अनियमित भुगतान	43000.00
16.	ग्राम पंचायत मेउ, पामगढ़	2006–07 से 2010–11	–	हार्दिक अभिनंदन का विज्ञापन प्रकाशन	11000.00

17	ग्राम पंचायत दहीकोंगा	2008-09 से 2010-11	4	प्रमाणक के अभाव में व्यय संदिग्ध	56000.00
18	ग्राम पंचायत खचगांव	2003-04 से 2010-11	10	प्रमाणक के अभाव में व्यय संदिग्ध	345520.00
19	ग्राम पंचायत नरिहा	2008-09 से 2010-11	7	वैट/रायल्टी कटौती न किया जाना	43509.00
20	ग्राम पंचायत लुड़ेग	2003-04 से 2006-07 एवं 2008-09	11	मकान/दुकानकिराया की बकाया	311957.00
21	ग्राम पंचायत भरदा जिला दुर्ग	2008-09 से 2010-11	15	खेल मैदान समतलीकरण कार्य में अधिक दर से मुरूम प्रदाय की राशि वसूली योग्य	28560.00
22	ग्राम पंचायत ननकट्टी वि.खं. दुर्ग	2010-11	18	शासन से प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय की स्वीकृति वांछित	14959.00

17. <u>राजस्व मांग वसूली</u> :-

विभाग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष 2011-12 में संपरीक्षित निकायों में करों एवं शुल्कों की मांग वसूली संतोषजनक नहीं पायी गयी । विभिन्न संपरीक्षित वर्षो तथा संस्थाओं में उपलब्ध जानकारी अनुसार वर्ष 2010-11 में ` 231036163.00 तथा वर्ष 2011-12 में ` 709022083.00 (दिनांक 31 दिसम्बर 2011 तक) वसूली हेतु शेष थी ।

18. अग्रिम :-

अ. वित्तीय वर्ष 2010-11 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ` 102117044.00 का अग्रिम समायोजन/ वसूली हेतु थी ।

ब. वित्तीय वर्ष 2011-12 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ` 357296914.00 समायोजन /वसूली हेतु शेष है ।

वित्तीय नियमों का समुचित पालन नहीं किये जाने से अग्रिमों का समायोजन होना नहीं पाया गया। विभिन्न निकायों कें विभिन्न वर्षो में अधिकारी/कर्मचारी/अन्य संस्थाओं की ओर समायोजन हेतु शेष अग्रिम के उदाहरण निम्नानुसार है :-

क	निकाय का नाम	वर्ष	समायोजन हेतु शेष राशि
1	नगर पंचायत अड़मार	2009-10	436754.00
2	नगर पंचायत तखतपुर	2009-10	925838.00
3	जनपद पंचायत अकलतरा	2010-11	215000.00
4	ग्राम पंचायत अकलतरी, नवागढ़	2005-06 से 2009-10	90000.00
5	कृषि उपज मण्डी जैजेपुर	2009-10 से 2010-11	216500.00
6	डीपीविप्र महाविद्यालय बिलासपुर	2009-10	4633782.00
7	नगर पंचायत बलरामपुर	2006-07 से 2009-10	482955.00
8	जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर	2007-08 से 2009-10	42000.00
9	जनपद पंचायत कटेकल्याण	1998-99 से 2009-10	6169922.00
10	जनपद पंचायत अंतागढ़	2009-10 से 2010-11	6029070.00

19. <u>ऋण</u> :-

अ. वित्तीय वर्ष 2010-11 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ` 182728648.00 ऋण शेष थी ।

ब. वित्तीय वर्ष 2011-12 की स्थिति में (दिनांक 31 दिसम्बर 2011 तक) विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ` 1390390744.00 ऋण शेष है ।

20. <u>अनुदान</u> :-

वित्तीय वर्ष 2010-11 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों को शासन / विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त अनुदान में से कुल राशि ` 4787710408.00 अवशेष होना पाया गया इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2011-12 (दिनांक 01.04.11 से 31.12.2011) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर को कुल राशि ` 4204619213.00 का अनुदान अवशेष होना पाया गया।

21. <u>निक्षेप</u> :-

वित्तीय वर्ष 2010-11 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि ` 71972569.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 (दिनांक 01.04.11 से 31.12.2011) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि ` 497005429.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया ।

<u>भाग - दो</u>

<u>बजट</u> :-

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा वर्ष 2011-12 के लिये राशि ` 132613 हजार आबंटित किया गया। आबंटित बजट में से दिनांक 31 दिसम्बर 2011 तक कुल राशि ` 68108 हजार व्यय हुआ है ।

भाग – तीन

1. निरीक्षण :–

संचालनालय के अधीन स्थानीय निकायों में पश्चातवर्ती संपरीक्षा दल के कार्यो का समय–समय पर सहायक संचालक द्वारा निरीक्षण पर्यवेक्षण की जाती है । इसके अतिरिक्त संचालक के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

2. पर्यवेक्षण :–

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विभिन्न स्तरीय निकायों की विभिन्न वर्षो की लेखाओं की संपरीक्षा की गई तथा जिसमें से अधिकांशत: निकायों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया है।

3. अंकेक्षण के दौरान कटौती :–

स्थानीय निकायों में आवासीय संपरीक्षा के समय देयकों में अनियमितताओं एवं त्रुटियों के फलस्वरूप अंकेक्षण द्वारा विभिन्न देयकों से राशि ` 1581741.00 का कटौत्रा मान्य किये गये।

————————————————————

संचालनालय संस्थागत वित्त

भाग–1

संचालनालय के गठन का उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़ राज्य के बैको के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, राज्य का वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय तथा राज्य में संस्थागत वित्त का अधिकाधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त संचालनालय की स्थापना की गई है। तद्नुसार संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये :–

1. बैंकिग कार्यकलापों का विस्तार तथा बैको को विकासमूलक कार्यक्रम के संपादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण करना ।
2. बैको एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से संबंधित राज्य और जिला स्तर समन्वय समितियों तथा सलाहकार समिति से जुडे कार्य ।
3. जिला एवं राज्य स्तरीय ऋण योजना, ऋण देने की प्रणाली एवं गति में सुधार संबंधित कार्य
4. वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण से संबंधित आंकड़ों का संधारण ।
5. विदेशी सहायता प्राप्ति एवं तत्संबंधी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अभिलेख इत्यादि का संधारण कार्य ।
6. ब्रिस्क योजना का क्रियान्वयन ।
7. भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं तथा निर्देशावली के क्रियान्वयन ।

राज्य शासन की विकास नीतियों को मूर्त रूप देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से भारत शासन के माध्यम से विदेशी सहायता भी प्राप्त की जाती है। चूँकि विदेशी सहायता की राशि भारत शासन के माध्यम से राज्य शासन की अतिरिक्त योजना संसाधन के रूप में प्राप्त होती है, संचालनालय का यह प्रयास रहा कि भारत सरकार को अधिक से अधिक विकास परियोजनाएं विदेशी सहायता हेतु प्रेषित की जाए, जिससे राज्य की विकास गति को अपेक्षा अनुसार वित्तीय समर्थन मिलता रहे। संचालनालय द्वारा ऐसी विदेशी संस्थाओं से सहायता ली जाती है, जिसका ऋण दर कम हो तथा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो।

संचालनालय का प्रशासकीय ढ़ाँचा :–

उपरोक्त दायित्वों एवं कार्यो के संपादन एवं निर्वहन के लिये स्थापित संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन राज्य स्तर पर अमला स्वीकृत है पर कोई क्षेत्रीय अथवा मैदानी अमला नहीं हैं ।

संचालनालय के अमले में निम्नलिखित सेटअप की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	01	–	01
2.	अतिरिक्त संचालक	37400–67000+Gr.Pay 8700	01	01	–
3.	संयुक्त संचालक	15600–39100+Gr.Pay 7600	01	–	01

4.	प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	15600–39100+Gr.Pay 5400	01	–	01
5.	सहायक साँख्यिकी अधिकारी	9300–34800+Gr.Pay 4300	01	01	–
6.	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	9300–34800+Gr.Pay 4300	01	01	–
7.	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	5200–20200+Gr.Pay 2800	01	01	–
8.	लेखापाल	5200–20200+Gr.Pay 2400	01	–	01
9.	सहायक वर्ग–2	5200–20200+Gr.Pay 2400	01	01	–
10.	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	5200–20200+Gr.Pay 2200	03	–	03
11.	सहायक ग्रेड–III	5200–20200+Gr.Pay 1900	02	02	–
12.	ड्रायवर	5200–20200+Gr.Pay 1900	02	02	–
13.	भृत्य	4750–7440 +Gr.Pay 1300	02	02	–
14.	फर्राश	कलेक्टर दर पर	01	–	01
15.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	01	–	01
	योग–		**20**	**11**	**09**

भारतीय रिजर्व बैंक से आतिनियुक्त अधिकारी, अपर संचालक के पद पर पदस्थ है तथा वर्तमान में संचालक के पद पर कार्यरत है सहायक साँख्यिकी अधिकारी, सहायक ग्रेड–2 तथा भृत्य के पद संविदा नियुक्ति से भरे गये हैं ।

भाग–2

बजट आावधान एवं व्यय

अ.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबंद्व कार्यालय
4296–संचालनालय संस्थागत वित्ता

- **विभागीय उपलब्ध बजट**

(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2011 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	आाप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्तों आदि रु 01	38.80	21.35	17.45
02	मजदूरी रु 02	1.50	0.86	0.64
03	यात्रा भत्ता रु 03	7.50	4.41	3.09
04	कार्यालय व्यय रु 04	8.25	5.00	3.25
05	आशिक्षण रु 05	2.00	1.00	1.00
06	व्यवसायिक सेवाओं रु 10 हेतु अदायगियां	1.00	0.09	0.91
07	अनुरक्षण पर व्यय रु 24	0.80	0.24	0.56
08	वाहनों का क्रय रु34	0.00	0.00	0.00
	योग–	59.85	32.95	26.90

ब.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबंद्व कार्यालय
4296–संचालनालय संस्थागत वित्त
2435–अन्य कृषि कार्यक्रम
(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2011 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	आाप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज–0101–5628	600.00	533.00	67.00

स.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबंद्व कार्यालय
4296–संचालनालय संस्थागत वित्त
4425–सहकारिता पर पूंजी परिव्यय
(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2011 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	आाप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	1005 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंशपूंजी में धनवेष्ठन 0101–4425–रु 32	1350.00	0.00	1350.00

- **यूरोपियन कमीशन – राज्य साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध बजट**

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबंद्व कार्यालय
4296–संचालनालय संस्थागत वित्त
6725–यूरोपियन कमीशन
(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2011 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि रु 01	10.00	4.10	5.90
02	यात्रा भत्ता रु 03	10.00	9.97	0.03
03	कार्यालय व्यय रु 04.009 सूचना प्रौद्योगिकी	10.00	2.15	7.85
04	प्रशिक्षण रु0 5.001 अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	13.06	11.98	1.08
05	अनुरक्षण कार्य रु 24	1.00	0.00	1.00
	योग	44.06	28.20	15.86

भाग–3

संचालनालय के कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ:–

1. संचालनालय के सफल प्रयास से बैंकों के कार्यक्षमता में वृद्वि हुई है। मार्च, 2011 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 860, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 398 एवं शहरी क्षेत्रों में 347 कुल 1705 बैंक शाखा कार्यरत रही है। बैंको को साख जमा अनुपात का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैचमार्च 60% के विरूद्ध मार्च 2011 में 55.94% हुआ है। राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों में साख की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैचमार्च 40% के विरूद्ध मार्च 2011 में 58.88% हो गया है कृषि ऋण (अग्रिम) कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैचमार्च 18% के विरूद्ध मार्च 2011 मे 28.89% हुआ है। कृषि क्षेत्र में कुल अग्रिम मार्च, 2010 में ` 8494.65 करोड के विरूद्व मार्च 2011 में ` 9540.32 करोड हुआ है। यह वृद्वि 112.31% है लघु उद्योग क्षेत्र में कुल अग्रिम मार्च 2010 में ` 3612.43 करोड़ के विरूद्ध मार्च 2011 में ` 7021.29 करोड हुआ है, जो कि 94.36% अधिक है। कमजोर क्षेत्र को अग्रिम का कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैचमार्च 10% के विरूद्ध मार्च 2011 में 10.86% हुआ है।
2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत् प्रदेश के 18 जिले वाणिज्यिक बैंको के बीच बंटे हुएं हैं । अग्रणी बैंक का प्रमुख उत्तरदायित्व जिले की साख योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करना एवं बैंक तथा जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है । जिला स्तर पर साख संबंधी योजना तैयार करने का कार्य को सुगम बनाने के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली शासकीय विभागों के साथ समन्वय कर आगामी वर्ष की साख योजना के लिये दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया जाता है । शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों के साथ अनुश्रवण कर वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है । राज्य निर्माण के बाद लगातार पांचवें वर्ष भी स्टेट क्रेडिट प्लान 2011–12 तैयार किया गया जिसमें योजनावार एवं जिलावार भौतिक, वित्तीय लक्ष्य एवं अनुदान की राशि का समावेश किया गया है ।
3. **पात्र बैंको की सूची (Empanelment of Banks) -** वर्ष 2011–12 में राज्य शासन के अधीन निगमों/निकायों/मण्ड़लों की अतिरिक्त राशि को वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने हेतु पारदर्शी एवं उद्देश्यपूर्ण मापदण्ड़ो के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वागीण विकास तथा शासन प्रायोजित योजनाओं में भागीदारी व सहयोग करने वाले पात्र बैंको की नवीन सूची तैयार की गई है । पात्र बैंकों की सूची में केवल वे बैंक ही सम्मिलित होंगे जिनका राज्य के विकास में वांछनीय योगदान रहा है ।

भाग–4

बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना प्रकोष्ठ (ब्रिस्क) का क्रियान्वयन :–

शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत् व्यावसायिक बैंको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा आदत्त ऋणों के अतिदेय राशियों की वसूली हेतु सहायता करने में राज्य शासन भरसक प्रयत्नशील हैं इस दिशा में राज्य शासन वसूली हेतु अपने प्रशासनिक तंत्र (राजस्व अमला) की सुविधा उपलब्ध कराती हैं । ब्रिस्क योजना के अंर्तगत् पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को ` 12,83,629.00 बंटवारे में प्राप्त हुए । छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से दिसम्बर 2011 की स्थिति में ` 20,85,257.00 विभिन्न जिलों के कलेक्टरों से प्राप्त हुए है ।

भाग–5

संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़, रायपुर में पदस्थ अमले की जानकारी :–

क्र.	नाम	पदनाम	रिमार्क
1.	श्री अमिताभ खण्डेलवाल	अतिरिक्त संचालक पदेन संचालक	
2.	श्री आर.ए. दीवान	सहा. सांख्यिकी अधिकारी	
3.	श्री आर.सी. खरे	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	
4.	श्री महेश कुमार शर्मा	सहायक ग्रेड–2	
5.	कु. पायल यदु	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	
6.	श्री सत्यवीर सिंह राठौर	सहायक ग्रेड–3	
7.	श्री तेनसिंह विनायक	सहायक ग्रेड–3	
8.	श्री विजय कुमार मिश्रा	वाहन चालक	
9.	श्री रामफल निषाद	वाहन चालक	
10.	श्री बैशाखू राम कोराम	भृत्य	
11.	श्री भूषण लाल धर्मा	भृत्य	

भाग–6

संचालनालय के दायित्व :–

1. बैंकिग कार्यकलापों का विस्तार तथा बैंको को विकासमूलक कार्यक्रम के संपादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण करना ।
2. बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से संबंधित राज्य और जिला स्तर समन्वय समितियों तथा सलाहकार समिति से जुडे कार्य ।
3. जिला एवं राज्य स्तरीय ऋण योजना, ऋण देने की प्रणाली एवं गति में सुधार संबंधित कार्य
4. वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण से संबंधित आंकड़ों का संधारण ।
5. विदेशी सहायता प्राप्ति एवं तत्संबंधी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अभिलेख इत्यादि का संधारण कार्य ।
6. ब्रिस्क योजना का क्रियान्वयन ।
7. भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं तथा निर्देशावली के क्रियान्वयन ।

संचालनालय अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज, छत्तीसगढ़ रायपुर

भाग – 1

सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य में वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय अल्प बचत एवं राज्य लॉटरील गठित है । विभाग का प्रमुख कार्य अल्प बचत योजनाओं को राज्य में बढ़ावा देना है । छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कलेक्टरों में अल्प बचत के अधीनस्थ कार्यालय जिला अल्प बचत अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त प्रभारी अल्प बचत अधिकारी द्वारा अल्प बचत का कार्य किया जाता है ।

अल्प बचत योजनाएं

1. राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम
2. मासिक आय योजना
3. सावधि जमा योजना
4. डाकघर बचत खाता
5. पंच वर्षीय आवर्ती जमा योजना
6. वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना
7. लोक भविष्य निधि खाता

उपरोक्त योजनाओं का कियान्वयन एस.ए.एस. एजेंट एम.पी. के के.बी. बाय एजेंटों की नियुक्ति एवं पीपीएफ एजेंटों की नियुक्ति संबंधी कार्य संचालनालय की देख रेख में जिला कलेक्टरों द्वारा किया जाता है ।

वार्षिक लक्ष्य

वर्ष 2011–12 के लिये प्रस्तावित 200 करोड़ के विरूद्ध माह दिसम्बर 2011 तक 46.48 करोड़ हुआ है ।

बजट – ` 80.00 लाख

व्यय – ` 47 लाख 19 हजार

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, मंत्रालय

नियमानुसार जानकारी दिया जाना प्रस्तावित है :-

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली कार्यालय का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13 अगस्त, 2001 को किया गया । वित्त विभाग के अंतर्गत् गठित इस कार्यालय द्वारा राज्य शासन के वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सभी कार्य किये जाते हैं ।

वर्ष 2011-12 में कार्यालय की गतिविधियां :-

वर्ष 2011-12 का बजट अनुमान तथा प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2011-12 संकलित कर निर्धारित रूप में तैयार कर विधानसभा में प्रस्तुत किया गया तथा वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान का संकलन कार्य प्रगति पर है ।

संगठनात्मक ढांचा :-

संचालनालय के लिये निम्नलिखित पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है । संचालक के पद हेतु संयुक्त सचिव या उप-सचिव के समकक्ष अधिकारी जो भी संचालक, बजट होंगे, पदेन रूप से इस पद पर आसीन होंगे -

क	पद	श्रेणी/संवर्ग	पद संख्या	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	पदेन	-	-
2	संयुक्त संचालक (राज्य वित्त सेवा)	प्रथम श्रेणी	01	15600-39100	7600
3	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01	15600-39100	5400
4	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	01	9300-34800	4200
5	कनिष्ठ लेखाधिकारी	तृतीय श्रेणी	01	9300-34800	4200
6	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2800
7	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2800
8	सहायक ग्रेड-2	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2400
9	कम्प्यूटर सहायक	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2400
10	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2200
11	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	1900
12	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	1900
13	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	01	4750-7400	1400
14	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	02	4750-7400	1300

बजट आबंटन तथा व्यय (वित्तीय वर्ष 2011–12)

31 दिसंबर, 2011 की स्थिति में

(राशि हजार में)

कमांक	**मुख्य शीर्ष**	**योजना कमांक**	**योजना का नाम**	**बजट आवंटन**	**वास्तविक व्यय**
1	2052	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	3740	2155
2	2052	5338	राज्य वित्त आयोग	4000	4000
योग				**7740**	**6155**

❖ **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत वर्ष 2011 में प्राप्त प्रकरणों के कियान्यवन की जानकारी**

प्राप्त आवेदन पत्र	**निराकृत**	**अस्वीकृत**
01	01	–

––––––––**00000**–––––––

छत्तीसगढ़ इनफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

सामान्य जानकारी

(1) गठन का उद्देश्य :-

सी0आई0डी0सी0 का गठन, कम्पनी अधिनियम के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अंतर्गत 26 फरवरी, 2001 को किया गया था । इसे अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण-पत्र 28 मार्च, 2001 को प्राप्त हुआ । शासन द्वारा इसकी अधिकृत अंशपूंजी 10.00 करोड़ रूपया रखी गयी है । मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के अनुसार इस कार्पोरेशन के गठन का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :-

(2) संगठनाात्मक ढॉचा :-

सी0आई0डी0सी0 में निम्नानुसार अमला कार्यरत् है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1.	प्रबंध संचालक	1	1
2.	मुख्य महाप्रबंधक	2	1
3	प्रबंधक	2	-
4.	प्रबंधक (लेखा)	1	1
5.	स्टेनोग्राफर	6	2
6.	रिसेप्सनिस्ट	2	-

(3) क्रियाकलाप :-

विघटित मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के परिसमापन एवं पुनर्वास प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनॉक 01.01.2012 की स्थिति में 1209 कर्मी विभागों/ निगमों/मंडलों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं ।

(4) बजट प्रावधान एवं व्यय

(अ) सी.आई.डी.सी. हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रावधानित राशि रूपये 30.00 लाख के विरूद्ध 31.12.11 तक 18.29 लाख व्यय हो चुका है ।

(ब) सी.आई.डी.सी. के नियंत्रणाधीन विघटित परिवहन निगम हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रावधानित राशि रूपये 1000.00 लाख के विरूद्ध रूपये 341.00 लाख का व्यय हो चुका है ।

----------00000----------

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-''झ'' के खण्ड (1) के साथ पाठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) एवं यथा संशोधन छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2003) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य के द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक 1086/एल-8-9/2011/वित्त/बजट-4/चार, दिनांक 23 जुलाई, 2011 के द्वारा किया गया है ।

(2) आयोग में श्री अजय चंद्राकर को अध्यक्ष तथा डॉ. अशोक कुमार पारख को सदस्य मनोनीत किया गया है तथा श्री एस.के. मिश्रा को सलाहकार नियुक्त किया गया है ।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग में सेटअप अनुसार 29 पद स्वीकृत है, जिनमें से सहायक प्रोग्रामर के पद को छोड़कर सभी पदों की पूर्ति की जा चुकी है ।

(4) अनुच्छेद 243 ''झ'' तथा 243 ''म'' के अनुसार राज्य वित्त आयोग, का कार्य राज्य की पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना तथा

अ. राज्य द्वारा उदग्रहणीय करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के शुद्ध आगमों के राज्य तथा पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच विवरणजो संविधान के अधीन उनके बीच विभाजित किए जा सकें तथा समस्त स्तरों पर ऐसे आगमों के उनके अपने-अपने अंशों का उक्त निकायों के बीच आबंटन हेतु अनुशंसा करना ।

ब. करों, शुल्कों, पथकरों तथा का निर्धारण जो पंचायतों और नगर पालिकाओं को समनुदेशित या विनियोजित किये जाने हेतु अनुशंसा करना ।

स. राज्य की संचित निधि में से पंचायतों और नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान हेतु अनुशंसा करना ।

द. पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के आवश्यक उपायों सहित उपलब्ध संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करने हेतु एवं लागतों के संबंध में अनुशंसा देना है ।

(5) आयोग 1 अप्रेल, 2011 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की कालावधि के लिये अपना प्रतिवेदन 31 जुलाई, 2012 तक या उसके पूर्व उपलब्ध करायेगा ।

स्वीकृत सेट :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान+ग्रेड पे	पदों की संख्या	रिमार्क
1	सचिव	37400-67000+10000	01	प्रतिनिुक्ति
2	उप सचिव	15600-39100+7600	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
3	अनुसंधान अधिकारी	15600-39100+5400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
4	स्टेनोग्राफर-1 अध्यक्ष के निज सचिव	9300-34800+4400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
5	कार्यालय अधीक्षक	9300-34800+4300	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
7	सहायक प्रोग्रामर	9300-34800+4300	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
	सहायक ग्रेड-1	5200-20200+2800	01	सहायक ग्रेड-2 के पद 01 पद को समर्पित करते हुए

6	संगणक	5200–20200+2400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
7	डाटा एंट्री आपरेटर	5200–20200+2400	02	प्रतिनियुक्ति/संविदा
8	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	5200–20200+2800	02	प्रतिनियुक्ति/संविदा
9	लेखापाल	5200–20200+2400	01	प्रतिनियुक्ति/संविदा
10	सहायक वर्ग–2	5200–20200+2400	02	प्रतिनियुक्ति/संविदा
11	सहायक वर्ग–3	5200–20200+1900	02	प्रतिनियुक्ति/संविदा
12	वाहन चालक	5200–20200+1900	02	प्रतिनियुक्ति/संविदा
13	भृत्य	4750–7440+1300	06	प्रतिनियुक्ति/संविदा
14	चौकीदार	कलेक्टर दर	02	अंशकालिक
15	फर्राश	कलेक्टर दर	01	अंशकालिक
16	स्वीपर	कलेक्टर दर	01	अंशकालिक
	योग		**29**	

–––––––**00000**–––––––

राज्य योजना आयोग

भाग –1

विभागीय संरचना:-

प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के समुचित दोहन एवं राज्य के विकास की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के उद्देश्य से योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश क्रमांक 26/2001/योआसां/23 दिनांक 10 जनवरी 2001 द्वारा राज्य योजना मंडल का गठन तथा विभागीय अधिसूचना दिनांक 30.07.2010 द्वारा राज्य योजना मंडल का नाम परिवर्तित कर ''राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़'' किया गया । वर्तमान में मान. मुख्यमंत्री जी आयोग के अध्यक्ष एवं मान. श्री शिवराज सिंह आयोग के उपाध्यक्ष हैं ।

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक संरचना की जानकारी परिशिष्ट-1 में दर्शाई गई है ।

राज्य योजना आयोग के दायित्व

- राज्य की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना का विनिर्माण ;
- राज्य के साधनों का मूल्यांकन करना और उसके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग के लिए योजनाएं बनाना ;
- योजना की प्राथमिकता सुनिश्चित कस्ना ;
- जिलों के अविकसित क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं तैयार करना तथा ऐसी योजनाएं बनाने में जिला अधिकारियों की सहायता करना ;
- राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में रूकावटों एवं राज्य में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उपाय सुझाना ;
- योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा/पुनर्विलोकन करना तथा नीतियों और उपायों में आवश्यक समायोजनो की सिफारिश करना ;
- भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र की सहायता से राज्य के पांच जिलों यथा सरगुजा, जशपुर, कोरबा, महासमुंद तथा कांकेर में विकेन्द्रीकृत योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए कार्यवाही का क्रियान्वयन ।

आयोग द्वारा कियान्वित कार्यक्रम

1. सहस्त्राब्द्धि विकास लक्ष्यों के सापेक्ष में उपलब्धियों की समीक्षा

केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा लक्षित विकास संकेतकों के संदर्भ में 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ एवं अंतिम अवस्था की राज्य स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र	विकास संकेतक	इकाई	11वी पंचवर्षीय योजना से पूर्व की स्थिति	11वी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	11वी पंचवर्षीय योजना तक की उपलब्धियां	कॉलम 6 का संदर्भ वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	गरीबी में कमी (स्तर)	प्रतिशत	40.8	26.2	40.8	2004.05 योजना आयोग, भारत सरकार
2.	शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	61	30	51	(SRS-2010)
3.	मातृत्व मृत्यु दर	प्रति लाख जीवित जन्म पर	335	126	275	(AHS-2010)
4.	सकल प्रजनन दर (महिला 15–49 वर्ष)	प्रति महिला	3.3	2.4	3.0	(SRS-2010)
5.	कुपोषण (0 से 3 वर्ष के बच्चें में)	प्रतिशत	52.1	26.1	52.60	(NFHS III-2005-06)
6.	रक्ताल्पता (महिला 15–49 वर्ष)	प्रतिशत	57.5	28.8	57.5	(NFHS III-2005-06)
7.	लिंगानुपात	प्रति हजार पुरूषों पर महिलाएं	989	999	991	जन–2011
8.	शाला त्याज्य दर	प्रतिशत – कुल प्राथमिक अपर प्राथमिक	46.81	10	5.55 6.19	(2009-10)
9.	साक्षरता दर	प्रतिशत	64.66	86.16	71.04	जन–2011
10.	महिला पुरूष साक्षरता अंतर	प्रतिशत	25.33	15.6	20.86	जन–2011
11.	राज्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि		Nov. 2007			2010–11
	1. कृषि	प्रतिशत	9.10	1.70	2.63	
	2. उद्योग	प्रतिशत	14.70	12.00	10.99	
	3. सेवाएं	प्रतिशत	6.80	8.00	11.77	
	योग	प्रतिशत	9.30	8.60	9.71	

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि राज्य द्वारा सामाजिक क्षेत्र में व्यय को अपेक्षा अनुसार बढ़ाकर सामाजिक संकेतकों यथा साक्षरता, शाला त्याज्य बच्चों को पुन: शाला में प्रवेश देने तथा

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के तीनों क्षेत्रों (कृषि, उद्योग एवं सेवाएं) में लक्ष्य की तुलना में अधिक उपलब्धियॉं अर्जित की गई है ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख क्षेत्रक अनुसार निम्नानुसार अनुमोदन किया गया है :-

(करोड़ रूपये में)

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	कुल परिव्यय	कुल का प्रतिशत
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	1955.46	3.64
2.	ग्रामीण विकास	4260.06	7.93
3.	विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम	284.30	0.53
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7227.73	13.45
5.	ऊर्जा	1805.37	3.36
6.	उद्योग तथा खनिकर्म	815.06	1.52
7.	यातायात	7272.48	13.54
8.	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	3369.53	6.27
9.	सामान्य आर्थिक सेवायें	834.68	1.55
10.	सामाजिक सेवायें	25568.96	47.59
11.	सामान्य सेवायें	336.36	0.63
	कुल योग	**53730.00**	**100.00**

अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास संकेतकों में सुधार एवं सहस्त्राब्द्धि विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक सेवाओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया है । इस पंचवर्षीय योजना की 47.59 प्रतिशत राशि सामाजिक सेवा पर व्यय किए जाने के प्रावधान में प्रमुखत: 10.14 प्रतिशत राशि शिक्षा पर, 4.32 प्रतिशत राशि स्वास्थ्य सेवाओं पर तथा 14.61 प्रतिशत राशि जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर व्यय किए जाने का प्रावधान है। राज्य में कृषि के विस्तार के लिए 13.45 प्रतिशत राशि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर तथा सड़क सुविधाओं के विकास हेतु 13.54 प्रतिशत राशि व्यय करने का अनुमोदन किया गया है।

2. <u>राज्य की वार्षिक योजनाओं के वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियॉं:-</u>

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परिव्यय रूपये 13230.00 करोड़ के विरूद्ध रू. 10081.00 करोड़ का व्यय किया गया । कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर रूपये 1385.02 करोड़ के अनुमोदित के विरूद्ध रूपये 1196. 60 करोड़, ग्रामीण विकास पर रूपये 377.78 करोड़ के विरूद्ध रूपये 375.51 करोड़ एवं सामाजिक सेवाओं पर अनुमोदित परिव्यय रूपये 6833.81 करोड़ के विरूद्ध रूपये 5240.31 करोड़ का व्यय किया गया ।

वार्षिक योजना 2011-12 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रूपये 16710.25 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है । कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए रूपये 1621. 67 करोड़, ग्रामीण विकास हेतु रूपये 496.14 करोड़, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु रूपये 2041.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुमोदित परिव्यय में सर्वाधिक 50.27: राशि रूपये 8399.69 करोड़ का प्रावधान सामाजिक सेवाओं हेतु किया गया है ।

आयोग द्वारा राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए रू 18894.43 करोड़ की आयोजना राशि का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है जिसमें कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण विकास तथा सामाजिक सेवाओं के लिए योजना राशि में अनुपातिक रूप से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है ।

वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रक अनुसार अनुमोदित राशि, व्यय उपलब्धियों का उल्लेख अगली सारिणी में किया गया है ।

वार्षिक योजनाओं की क्षेत्रक अनुसार अनुमोदित एवं व्यय राशि का विवरण

(लाख रूपये में)

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना वर्ष 2009-10			वार्षिक योजना वर्ष 2010-11			वार्षिक योजना वर्ष2011-12
		अनुमोदित राशि	व्यय	प्रतिशत	अनुमोदित राशि	व्यय	प्रतिशत	अनुमोदित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	78933.31	82336.25	104.31	138502.58	119660.53	86.40	162167.93
2	ग्रामीण विकास	57624.65	29593.95	51.36	37778.26	37551.40	99.40	49614.15
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	37731.40	30616.70	81.14	38726.53	38455.07	99.30	72848.50
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	96870.23	103152.62	106.49	168759.70	111018.00	65.78	204160.58
5	उर्जा	21180.25	18142.10	85.66	26129.00	28255.98	108.14	28690.40
6	उद्योग तथा खनिकर्म	22055.47	22752.04	103.16	18966.79	22735.26	119.87	25660.23
7	यातायात	111489.53	88281.09	79.18	103767.75	83875.32	80.83	144331.71
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	28501.30	27872.77	97.79	32800.80	29763.97	90.74	37522.86
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	25043.21	59187.55	236.34	61044.41	9989.75	16.36	61299.31
10	समाजिक सेवायें	605941.95	559961.94	92.41	683381.75	524030.82	76.68	839969.11
11	सामान्य सेवायें	9331.46	6246.48	66.94	13142.43	2763.90	21.03	44760.23
	योग	**1094702.76**	**1028143.49**	**93.92**	**1323000.00**	**1008100.00**	**76.20**	**1671025.01**

3. जिला वार्षिक योजना

भारत के संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें उसे विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदाय किया गया है । वर्ष 2012-13 के संदर्भ में सभी जिलों से जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत योजनाएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें संबंधित विभाग की वार्षिक कार्य योजना में समायोजन करने का प्रयास किया जा रहा है ।

4. संयुक्त राष्ट्र-भारत सरकार तथा राज्य शासन अभिसरण कार्यक्रम रू.

भारत सरकार, राज्य सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं (यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूएनएफपीए) के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुरूप राज्य के पांच जिलों (महासमुंद, कांकेर, कोरबा, सरगुजा एवं जशपुर) में विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण में सहयोग देने के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत यूएनडीपी तथा यूनिसेफ द्वारा सभी पांच जिलों में दो तकनीकी सहायक तथा दो राज्य स्तर पर उपलब्ध कराये गये है। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न है :-

1. एकीकृत एवं सभी को जोड़ने वाली जिला योजना को अपनाना ।
2. सरकारी एवं अन्य संसाधनों का जिलों द्वारा अधिकतम उपयोग ।
3. सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं का स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ीकरण।
4. मैनेजमेंट एवं योजना बनाने में मॉनिटरिंग का उपयोग ।

कार्यक्रम की उपलब्धियां :-

1. प्रशिक्षण संस्थाओं का एक दिवसीय (15 दिसम्बर 2009) परिचर्चा कार्यक्रम तथा तीन दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (14-16 जुलाई 2010) आयोजित किया गया।
2. प्रशिक्षकों का पाँच दिवसीय जिला स्तर पर प्रशिक्षण तथा जनपद स्तरीय 1200 ग्राम पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया ।
3. कार्य क्षेत्रों के जिलों में विभागों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम - 350 प्रतिभागी ।
4. आकड़ों के एकत्रीकरण एवं इनका उपयोग योजना बनाने/मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकी अधिकारियों का प्रशिक्षण - 65 प्रतिभागी
5. जिला योजना समिति के सदस्यों का केरल भ्रमण का कार्यक्रम ।
6. नगरीय निकायों के 65 प्रतिनिधियों का कर्नाटक भ्रमण कार्यक्रम।
7. जेंडर सब प्लान रायपुर एवं कोरबा जिला में आयोजित।
8. ग्राम/नगर (वार्ड) सूचक पत्रक का आकड़े संकलन हेतु महासमुंद एवं राजनांदगांव जिलों का चयन
9. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का चयन कर मानव संसाधन उपलब्ध कराकर जिला योजना पर तीन माह का प्रशिक्षण अक्टूबर 2011 से प्रारंभ किया गया है ।
10. प्लान प्लस पर प्रशिक्षण -राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से महासमुंद जिले में अधिकारियों का प्रशिक्षण ।
11. 12वीं पंचवर्षीय योजना पर विचार विमर्श हेतु 05 अक्टूबर 2011 को एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया ।
12. विकेन्द्रीकृत जिला योजना पर सचिवों, विभागाध्यक्षों, जिलाध्यक्षों, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का एक दिवसीय संवेदीकरण सह परिचर्चा कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2011 को आयोजित किया गया ।
13. विकेन्द्रीकृत जिला योजना पर राज्य योजना आयोग, ग्रामीण विकास संस्थान, प्रशासनिक अकादमी एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों का अध्ययन भ्रमण 10-14 जनवरी 2012 की अवधि में संपन्न हुआ ।

भाग -दो

छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का बजटीय प्रावधान 2011-12

(राशि लाख रूपयों में)

क्र.	योजना शीर्ष एवं क्रमांक	स्वीकृत बजट वर्ष 2010-11	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2010-11	वर्ष 2010-11 का	बजट अनुमान 2011-12

				वास्तविक व्यय	
1	2	3	4	5	6
1. मांग संख्या–31, मुख्य लेखा शीर्ष–3451					
	राज्य योजना आयोग (आयोजनेत्तर)	167.70 15.00	175.46 15.00	126.43 –	184.15 20.00
	यूरोपियन कमीशन	1.00	57.31	–	1.00
	योग :–	**183.70**	**247.77**	**126.43**	**205.15**
2. मांग संख्या–60 मुख्य लेखा शीर्ष– 3451					
	जिला योजना का सुदृढ़ीकरण	86.00	86.00	15.10	86.00
	योग :–	**86.00**	**86.00**	**15.10**	**86.00**
	महायोग :– (12)	**269.70**	**333.77**	**141.53**	**291.15**

भाग –तीन

राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना – निरंक

भाग –चार

सामान्य प्रशासनिक विषय – निरंक

भाग –पांच

अभिनव योजना –

रायपुर, दुर्ग एवं जांजगीर–चांपा जिलों में भी विकेन्द्रीकृत जिला योजना, BRGF जिलों के अनुरूप पंचवर्षीय जिला योजना तैयार की जा रही है ।

भाग –छः

प्रकाशन :–

1. वार्षिक योजना 2011–12 भाग–1 एवं भाग–2 का प्रकाशन योजना आयोग, भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
2. विकेन्द्रीकृत जिला योजना पर संवेदीकरण हेतु परिचर्चा प्रतिवेदन ।
3. 12वीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण हेतु राज्य स्तरीय विचार विमर्श संगोष्ठी का प्रतिवेदन ।

भाग –सात

सारांश :–

राज्य योजना आयोग का प्रमुख दायित्व विभिन्न विकास विभागों के प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रदेश की वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार कर योजना आयोग, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना है। वार्षिक योजना 2011–12 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार व्दारा रू0 16,710.00 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य योजना आयोग द्वारा विकेन्द्रीकृत नियोजन के अंतर्गत जिला योजना तैयार करने की कार्यवाही की गई है।

–––––––**00000**–––––––

परिशिष्ट–एक (1)

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ में स्वीकृत पदों की स्थिति
(31 जनवरी 2012 की स्थिति में)

क्र0	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	उपाध्यक्ष	राज्य शासन द्वारा मनोनीत	1	
2	सदस्य	राज्य शासन द्वारा मनोनीत	1	
3	सदस्य सचिव	प्रथम श्रेणी	1	
4	विशेष सचिव/ उप सचिव	प्रथम श्रेणी	1	
5	सलाहकार	प्रथम श्रेणी	4	
6	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	2	
7	अवर सचिव	प्रथम श्रेणी	1	
8	शोध अधिकारी	प्रथम श्रेणी	4	
9	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	4	
10	लेखाधिकारी	द्वितीय श्रेणी	1	
11	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	2	
12	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1	द्वितीय श्रेणी	1	
13	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	1	
14	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी	4	
15	कनिष्ठ ग्रंथपाल	तृतीय श्रेणी	1	
16	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	2	
17	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	2	
18	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी	1	
19	अन्वेषक	तृतीय श्रेणी	4	
20	लेखापाल	तृतीय श्रेणी	1	
21	कनिष्ठ लेखापाल	तृतीय श्रेणी	1	
22	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	2	
23	संगणक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	तृतीय श्रेणी	6	

क्र0	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5
24	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	4	
25	वाहन चालक वरिष्ठ	तृतीय श्रेणी	1	
26	वाहन चालक कनिष्ठ	चतुर्थ श्रेणी	4	
27	दफतरी	चतुर्थ श्रेणी	1	
28	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	11	
29	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	2	
30	वाटरमेन	चतुर्थ श्रेणी	1	
31	फर्राष	चतुर्थ श्रेणी	1	
32	सफाई कर्मी	चतुर्थ श्रेणी	.	
	योग		**73**	
माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय हेतु				
1	विशेष सहायक	प्रथम श्रेणी	1	
2	निज सचिव	द्वितीय श्रेणी	1	
3	निज सहायक	तृतीय श्रेणी	1	
4	सहायक ग्रेड - 02	तृतीय श्रेणी	1	
5	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	1	
6	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	3	
योग			**8**	
महायोग			**81**	

vkfFkd ,oa lkf[;dh lapkyuky;] NRrhlx<] jk;iqj

भाग–1

विभागीय संरचना

राज्य की सामाजार्थिक गतिविधियों में समन्यव, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा विविध विषयों पर सांख्यिकी के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण कार्यो को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गो के अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ है । वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण परिशिष्ट–1 में दर्शाया गया है ।

अधीनस्थ कार्यालय

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, के अधीनस्थ जिला स्तर पर प्रदेश के 18 जिलों में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय स्थापित है । संचालनालय में प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के निष्पादन हेतु 17 संभाग है जिनका विवरण **परिशिष्ट–2** में दर्शाया गया है ।

संचालनालय के दायित्व

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, प्रशासन एवं विकास से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा उन्हें प्रकाशित कर सामाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण दायित्व इस संचालनालय का है । राज्य शासन द्वारा संचालनालय को इस हेतु नोडल अभिकरण घोषित किया गया है ।

संचालनालय के प्रमुख कार्य

1.सामान्य जानकारी

1.1 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के विन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य संपादित किया जाता है, साथ ही राज्य की सामाजार्थिक स्थिति का आंकलन करने के अलावा राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययनों का निष्पादन का दायित्व भी संचालनालय का है ।

1.2 प्रचलित अधिनियम तथा नियम निम्नानुसार है :-

(अ) औद्योगिक सांख्यिकी (कारखाना अधिनियम, 1948) तथा सांख्यिकी अधिनियम, 1953

(ब) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(स) छत्तीसगढ. राज्य जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001

(द) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008

(ई) सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011

1.3 संचालनालय अपने तकनीकी कार्यो के संपादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णत: अनुसरण करता है। इसके अंतर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण कार्यालय, महारजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु एवं योजना आयोग के अनुदेशों तथा निर्देशों के अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का निर्धारित प्रारूपों में संकलन, संधारण तथा विभिन्न प्रकाशनों का प्रकाशन किया जाता है । राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अनुसूचियों द्वारा राज्य स्तर पर भी संचालनालय में सर्वेक्षण संपादित किया जाता है ।

1.4 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मार्गदर्शन में राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते है ।

1.5 संचालनालय की सांख्यिकी गतिविधियों का मूल उद्देश्य, राष्ट्रीय नीतियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के सांख्यिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण कर प्रशासन, योजनाविद् तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराना है ।

2 प्रमुख गतिविधियाँ

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी प्रकाशन

राज्य की सामाजिक स्थिति तथा उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों का वार्षिक विश्लेषणात्मक अध्ययन **आर्थिक सर्वेक्षण** के रूप में प्रकाशित किया जाता है । प्रकाशन के अंतर्गत प्रमुख रूप से राज्यीय आय, कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य विकास, वानिकी, जलसंसाधन, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, श्रम एवं रोजगार, सहकारिता एवं बैंकिंग तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभागों की विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जाती है । विगत विधानसभा के बजट सत्र में यह प्रकाशन माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया गया ।

2.2 राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य की अर्थ व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करने के लिए भारत शासन के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष **राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान** (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) तैयार किये जाते है । इन अनुमानों को भी प्रतिवर्ष विधान सभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाता है ।

2.3 बजट विश्लेषण

राज्य के वार्षिक बजट का **आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण** भी संचालनालय द्वारा किया जाता है, जो राज्य की प्राथमिकताओं का सूचक है । संचालनालय द्वारा वर्ष 2011-12 की अवधि में राज्य बजट का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण 2008-09 (लेखा), 2009-10 (पु.अ.) एवं 2010-11 (आ.अ.) नामक प्रकाशन तैयार किया गया

2.4 सर्वेक्षण कार्य

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के निर्देशानुसार वर्ष 2011-12 रा.न्या.स. के 68$^{वें}$ दौर में उपभोक्ता व्यय तथा रोजगार और बेरोजगारी विषय पर निर्धारित प्रपत्रों पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य संचालनालय के निर्देशन में जुलाई, 2011 से प्रारंभ किया गया है जिसे जून, 2012 तक पूर्ण किया जावेगा । 68$^{वें}$ दौर में 188 ग्रामीण तथा 92 नगर खण्डों के रूप में कुल 280, प्रथम सर्वेक्षण इकाईयों में सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है । माह दिसम्बर, 2011 तक 86 ग्रामीण तथा 40 नगरीय न्यादर्शो का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर शेष न्यादर्शो का सर्वेक्षण कार्य जून, 2012 तक पूर्ण कर लिया जावेगा ।

वर्ष 2008-09 में पिछले 57$^{वें}$ से 59$^{वें}$ एवं 61$^{वें}$ से 63$^{वें}$ दौर के सर्वेक्षित न्यादर्शो के डाटा एन्ट्री, वेरीफिकेशन एवं वेलिडेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा वर्ष 2009-10 की अवधि में 64$^{वें}$ दौर के 240 न्यादर्शो की एवं वर्ष 2010-11 तक 65$^{वें}$ दौर के 216 न्यादर्शो की डाटा एन्ट्री एवं वेरीफिकेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । 66$^{वें}$ दौर के 10 न्यादर्शो की डाटा एन्ट्री का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । 62$^{वें}$ दौर के न्यादर्शो के एरर सुधार कार्य का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है । द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है ।

2.5 जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य

भारत सरकार के **जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969** के कार्यान्वयन हेतु राज्य में **छत्तीसगढ़ जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001** बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव/कर्मी को उप रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) अधिसूचित किया गया है । ग्रामीण क्षेत्र में जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिए यह व्यवस्था 01 जनवरी, 2008 से लागू किया गया है । इसके पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्य पुलिस थाना प्रभारियों द्वारा किया जाता था । इस व्यवस्था के फलस्वरूप जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के कार्य में पर्याप्त सुधार होने की संभावना है । राज्य के नगरीय क्षेत्र में जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का कार्य पूर्ववत नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा किया जा रहा है।

जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था हेतु राज्य शासन द्वारा की गई प्रशासनिक व्यवस्था के फलस्वरूप आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के संचालक, को मृख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु), उप–संचालक (जीवनांक), को उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) अधिसूचित किया गया है । जिला स्तर पर जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य के सूचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित् करने की दृष्टि से जिला कलेक्टर्स को अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों को जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) अधिसूचित किया गया है ।

2.6 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

औद्योगिक कामगारों के लिए खाद्य एवं सामान्य समूह से संबद्ध मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित मूल्य संकलन का कार्य विभागीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जाकर पत्रक मूलत: लेवर ब्यूरो शिमला संप्रेषित किये जाते है । लेवर ब्यूरो शिमला द्वारा भिलाई केन्द्र के लिये मासिक एवं वार्षिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार कर जारी किये जाते है ।

2.7 वार्षिक कार्यकलाप

(क) वर्ष 2011–12 में प्रकाशित प्रकाशन

(1) छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण–2010–11

(2) छत्तीसगढ़ आय व्ययक संक्षेप–2010–11

(3) छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2004–2005 से 2009–2010 (Q)

(4) छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विपणन–2009–10

(5) छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप–2009

(6) Socio- Economic Profile of Chhattisgarh State -2009

(7) Economic and Purpose Classification of State Government Budget of Chhattisgarh 2008-09(A/C), 2009-10 (R.E.) & 2010-11 (B.E.)

(8) Gross Fixed Capital Formation by State Govt. Administrative of Chhattisgarh 2000-01 To 2008-09 & Central Government Administrative Department & Supra-Regional Sectors 2000- 01 to 2006-07

(9) Gross Fixed Capital Formation By State Govt. Departmen tal Commercial Undertakings and on- Departmental Commercial Undertakings of Chhattisgarh 2001-02 to 2008-09

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ (सन् 1993–94) से अक्टूबर, 2011 तक कुल 505.72 करोड़ रूपये की राशि छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी की गई है, जिसमें से राशि रू. 469.42 करोड़ रूपये की लागत से 34013 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये । योजनान्तर्गत भौतिक उपलब्धि 94.62 प्रतिशत तथा वित्तीय उपलब्धियॉ 94.29 प्रतिशत रही है

(ग) बीस सूत्रीय कार्यक्रम का मासिक प्रबोधन पत्रक माह नवम्बर, 2011 केन्द्र शासन को प्रस्तुत किया गया है ।

(घ) अन्य सर्वेक्षण कार्य :–

1.अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं का सर्वेक्षण

भारत सरकार केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं के सर्वेक्षण द्वितीय चरण का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली भेज दिया गया है। कुल 39901 पंजीकृत संस्थाओं में से 13386 (33.55%) संस्थाओं को विजिट कर 4048 (10.15%) संस्थाओं की खोज कर सर्वे कार्य किया गया है। आंकड़ों का परिष्करण तथा प्रकाशन का कार्य शेष है, जो शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा ।

2.रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण

वर्ष 2011 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण के द्वितीय चरण का आयोजन लेबर ब्यूरो के निर्देशन में सम्पादित किया गया। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया। इस हेतु 152 ग्रामीण तथा 92 शहरी प्रथम चयनित इकाईयॉं आबंटित की जाकर सर्वेक्षण की कार्य अवधि 4 माह (अगस्त 2011 से नवम्बर 2011) निर्धारित की गई थी। प्रदेश के समस्त जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य किया गया।

(ड.) कौशल विकास हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय तथा अधीनस्थ जिला कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षणों हेतु नामांकित किया जाता है । वर्ष 2011 की अवधि में कुल 26 विषयों पर विविध स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये । राज्य स्तर पर 08 प्रशिक्षण आयोतित किये गये जिसमें 590 अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित हुऐ । केन्द्र शासन द्वारा आयोजित 17 पृथक-पृथक विषयो पर प्रशिक्षण सह-कार्यशाला एवं सम्मेलनों का आयोजन किया गया जिसमें संचालनालय के 48 अधिकारी/कर्मचारियों ने भाग लिया ।

भाग-2

बजट विहंगावलोकन :-

संचालनालय को आलोच्य वर्ष 2011-12 में राज्यीय सांख्यिकी गतिविधियॉं के संचालन हेतु गैर योजनान्तर्गत निम्नानुसार आबंटन प्राप्त हुआ है ।

(लाख रूपये में)

बजट मद विवरण	वर्ष 2011-12 वास्तविक व्यय (सितं. 2011)	वर्ष 2011-12 पुनरीक्षित प्रस्ताव	वर्ष 2012-13 के लिए बजट प्रस्ताव
1	2	3	4
आयोजनेत्तर			
1. राज्य सांख्यिकी संस्थान	339.41	1038.25	1257.82
2. जन्म-मृत्यु आंकड़ों का संकलन	29.40	142.35	154.23
3. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	34.60	120.20	130.05
योग	**403.41**	**1300.80**	**1542.00**

भाग–3

संचालनालय द्वारा वर्तमान में निम्नानुसार राज्य/केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय एवं विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ संचालित की जा रही है ।

योजना विवरण	वर्ष 2011–12 वास्तविक व्यय (सितं. 2011)	वर्ष 2011–12 पुनरीक्षित प्रस्ताव	वर्ष 2012–13 के लिए बजट प्रस्ताव
1	2	3	4
राज्य–आयोजना			
6562 जन्म–मृत्यु अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन	0.00	1.75	1.75
6564 सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	0.41	2.30	2.55
6293 सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण	0.20	1.70	1.70
केन्द्र प्रवर्तित योजना			
5501 जन्म–मृत्यु सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	5.90	10.76	10.76
7413 राज्य सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	0.00	11.00	1.10
केन्द्र क्षेत्रीय योजना			
5537 मृत्यु सांख्यिकी का विश्लेषण	0.00	1.50	1.50
7414 स्थानीय स्तर विकास हेतु मूलभूत सांख्यिकी	0.00	1.00	1.00
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना			
6725 यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान	7.16	108.00	88.00
योग	**13.67**	**138.01**	**108.00**

भाग–4

सामान्य प्रशासनिक विषय–निरंक

भाग–5

अभिनव योजनाएँ–निरंक

भाग–6

प्रकाशन

आलोच्य अवधि में प्रकाशित प्रकाशनों का परिचयात्मक विवरण निम्नानुसार है :-

1. आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष (2010–11):-

प्रस्तुत वार्षिक प्रकाशन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र विकास, जल संसाधन, परिवहन संसाधन, पर्यावरण, प्रौद्यौगिकी विकास के साथ ही सामाजिक विषयों से संबद्ध क्षेत्रों में अभिज्ञापित उपलब्धियों का उल्लेख राज्य के संदर्भ में किया गया है । यह प्रकाशन विगत विधान सभा के बजट सत्र (फरवरी 2011) में माननीय सदस्यों को वितरित किया गया ।

2. आय व्ययक संक्षेप (2011–12):-

प्रकाशित प्रकाशन में राज्य शासन द्वारा आलोच्य अवधि के लिये प्रस्तावित आयोजना एवं गैर आयोजनेत्तर व्यय तथा उसके सापेक्ष में अनुमानित - आय का विवरण तैयार कर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया, विभाग द्वारा इस प्रकाशन को वार्षिक बजट के साथ विधानसभा में वितरित किया गया ।

3. छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2004–2005 से 2009–2010 (Q)

इस प्रकाश्न में राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमान -सकल/निवल (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) संचालनालय द्वारा तैयार कर प्रकाशित किये गये, जिसमें प्रति व्यक्ति आय (सकल/निवल -प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) का भी आकलन प्रस्तुत किया गया।

4. राज्य में कृषि विपणन (2009–10):-

राज्य की कृषि उपज मण्डियों एवं उप मण्डियों में कृषि उत्पादों की आवक एवं विपणन से संबद्ध वार्षिक जानकारी इस प्रकाशन में प्रकाशित की गई, जो राज्य की सुदृढ़ कृषि विपणन व्यवस्था का द्योतक है।

5. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप (2009):-

इस प्रकाशन में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामाजार्थिक विकास के महत्वपूर्ण आंकड़ों को राज्य स्तर पर जिलेवार तालिकाओं के रूप में प्रकाशित किया गया। राज्य/जिलों के संदर्भ में वर्ष 2006 से 2009 तक की जानकारी का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके ।

6. राज्य सामाजार्थिक रूप रेखा (2009):-

उक्त प्रकाशन में प्रशासनिक, कृषि, ग्रामीण विकास, जल, परिवहन, पर्यावरण एवं सामाजिक अवयवों से संबंधित समंक एवं संकेतांक तथा जनगणना 2001 के आधार पर ऑकड़े प्रस्तुत किये गये, जिससे राज्य की विकास अवधारणा का प्रबोधन किया जा सके।

7. राज्य बजट का आर्थिक उद्देश्वार वर्गीकरण–वर्ष 2008–09 (लेखा), 2009–10 (पु.अ.) एवं 2010–11 (आ.अ.)- प्रस्तुत प्रकाशन में उद्देश्य के अनुसार किये गये वित्तीय प्रावधान एवं सापेक्ष्य परिव्यय का उल्लेख किया गया है ।

भाग–7 सारांश– निरंक

परिशिष्ट –एक

मुख्यालय एवं अधीनस्थ जिला कार्यालयों के स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी

(01–01–2012 की स्थिति में)

क्र.	श्रेणी एवं पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद		
		मुख्यालय	जिला	**योग**	मुख्यालय	जिला	**योग**
	प्रथम श्रेणी						
1	आयुक्त सह संचालक	1	0	**1**	1	0	**1**
2	अपर संचालक	1	0	**1**	1	0	**1**
3	संयुक्त संचालक	3	0	**3**	3	0	**3**
4	उपसंचालक	3	18	**21**	3	3	**6**
	द्वितीय श्रेणी						
5	सहायक संचालक	13	0	**13**	05	0	**5**
6	जिला योजना अधिकारी	0	18	**18**	0	0	**0**
7	जिला सांख्यिकी अधिकारी	0	18	**18**	0	14	**14**
	तृतीय श्रेणी						
8	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	36	104	**140**	23	91	**114**
9	सहायक प्रोग्रामर	1	0	**1**	0	0	**0**
10	अन्वेषक/ खण्ड स्तर अन्वेषक	14	165	**179**	12	79	**91**
10	संगणक (डाटा एण्ट्री आपरेटर)	6	36	**42**	01	08	**09**
12	अधीक्षक	01	0	**01**	01	0	**01**
13	आशुलिपिक ग्रेड–2	01	0	**01**	0	0	**0**
14	आशुलिपिक ग्रेड–3	01	0	**01**	0	0	**0**
15	स्टेनोटायपिस्ट	04	18	**22**	01	0	**01**
16	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	0	**01**	0	0	**0**
17	के.पी.ओ.	02	0	**02**	0	0	**0**
18	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	01	0	**01**	0	0	**0**
19	सहायक ग्रेड–1	04	07	**11**	01	03	**04**
20	सहायक ग्रेड–2	05	18	**23**	06	10	**16**
21	सहायक ग्रेड–3	20	43	**63**	02	15	**17**
22	वाहन चालक	01	7	**8**	01	5	**06**
23	वाहन चालक (आकस्मिकता निधि)	03	11	**14**	03	2	**05**
	चतुर्थ श्रेणी						
24	जमादार	1	0	**01**	01	0	**01**
25	भृत्य	15	52	**67**	14	29	**43**
26	चौकीदार	02	0	**2**	02	0	**02**
27	स्वीपर/फर्राश/वाटरमेन, (कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर)	05	18	**23**	05	09	**14**
	योग	**145**	**533**	**678**	**85**	**269**	**354**

संचालनालय के संभाग एवं निष्पादित कार्यविवरण ifjf'k"V&nk

1. प्रशासन	1. प्रशासन, स्थापना, लेखा एवं लेखा परीक्षण
2. जिला साँख्यिकी तंत्र	1. जिलों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं निरीक्षण 2. जिले की प्रकाशनों का परिनिरीक्षण एवं दिशा-निर्देश 3. तकनीकी कार्यों की अर्धवार्षिक/वार्षिक समीक्षा
3. साँख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. राज्य के समस्त विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों की समीक्षा, मार्गदर्शन 2. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण
4. सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण	1. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन 2. आर्थिक सर्वेक्षण 3. जिलेवार सामाजार्थिक विकास सूचकांक 4. छत्तीसगढ़ सांख्यिकी संक्षेप
5. प्रकाशन/पुस्तकालय	1. राज्य स्तरीय प्रकाशनों का प्रकाशन 2. पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का क्रय, विक्रय एवं संधारण
6. अन्य सर्वेक्षण, व गणनाऐं	1. छटवीं आर्थिक गणना 2. स्थानीय स्तर विकास से संबंधित मूलभूत सांख्यिकी 3. रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण 4. अलाभकारी संस्थाओं का सर्वेक्षण
7. भवन एवं गृह निर्माण साँख्यिकी	1. भवन एवं गृह निर्माण साँख्यिकी 2. ईमारती सामानों के थोक भावों की जानकारी 3. आपदा प्रबंधन सांख्यिकी संकलन
8. राज्यीय आय	1. राज्य/जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान 2. राज्य/जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने हेतु प्रक्रियागत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना
9. लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण	1. लोक वित्त तथा स्थानीय संस्थाओं की सांख्यिकी का संकलन एवं संधारण 2. राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं के आय व्ययक का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण कर आय-व्यय संक्षेप में तैयार करना
10. औद्योगिक खनिज, ऊर्जा एवं उत्पादन के सूचकांक साँख्यिकी	1. औद्योगिक, खनिज एवं उर्जा सांख्यिकी 2. सार्वजनिक क्षेत्रों का लेखा विश्लेषण 3. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, औद्योगिक सामाजिक सुरक्षा सांख्यिकी
11. पूँजी निर्माण	1. छ.ग. राज्य के सकल स्थायी पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करना
12. बाजार समाचार	1. थोक/फूटकर मूल्यों का संकलन/समीक्षा 2. कृषि उपज मंडियों का निरीक्षण 3. छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन का प्रकाशन

13. जीवनांक संभाग	1. जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रणाली का संचालन, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण 2. प्रभावी क्रियान्वयन की कार्यवाही 3. वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन 4. जन्म–मृत्यु रजिट्रीकरण अधिनियम 1969 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन 5. मृत्यु के कारणों का चिकित्सा आधार पर वर्गीकरण–प्रतिवेदन
14. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संभाग	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण, सारणीयन एवं प्रतिवेदन
15. बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना	1. संबंधित विभागों से प्रगति का मासिक प्रतिवेदन संकलन, संधारण एवं संप्रेषण 2. केन्द्र द्वारा की गई समीक्षा की अनुवर्तन कार्यवाही
16. कार्यक्रम कार्यान्वयन संभाग	
● सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक समीक्षा 2. राज्य समीक्षा बैठक आयोजित करना एवं निर्देश प्रसारित करना
● विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1. मुख्यालय स्तर पर प्रकरण तैयार कर शासन की ओर भेजना 2. विधानसभा क्षेत्रवार प्रतिवेदन संधारित करना 3. राज्य समीक्षा बैठक आयोजित करना एवं निर्देश प्रसारित करना 4. बजट कटौती प्रस्ताव तैयार करना 5. योजनांतर्गत अंकेक्षण, मॉनिटरिग करना
● जनसहभागिता योजना	1. योजना का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण
17. सूचना के अधिकार	1. प्रभावी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदकों को समय सीमा में जानकारी उपलब्ध कराना

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

भाग–1

विभागीय संरचना तथा सामान्य जानकारी

समाज के कमजोर वर्ग की आर्थिक सहायता एवं इन्हें सम्मान पूर्वक जीवनयापन के अवसर सुलभ कराने, तथा समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के प्रबोधन का कार्यक्रम केन्द्र शासन द्वारा अभिज्ञापित परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है । योजनाओं की प्रगति विभागाध्यक्ष कार्यालयों से प्राप्त कर केन्द्र शासन को संप्रेषित् की जाती है ।

विभागीय संरचना

केन्द्र शासन का बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग योजना की मासिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निर्गम करता है । छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत अभिज्ञापित प्रगति की समीक्षा का दायित्व राज्य स्तर पर वित्त एवं योजना विभाग द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को हस्तांतरित किया गया है । राज्य स्तर पर इस हेतु पदों की संरचना स्वीकृत नहीं है ।

अधीनस्थ कार्यालय

कार्यक्रम के प्रारंभ (वर्ष 1975 में) से प्रत्येक जिला/विकास खण्ड स्तर पर क्रमशः सहायक ग्रेड–2 व सहायक ग्रेड–03 का एक–एक पद स्वीकृत किया गया था जो आज भी जीवित है ।

विभागीय दायित्व

1. कार्यक्रम की प्रगति का संकलन, अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
2. राज्य/जिला/विकास खण्ड स्तरीय एवं शहरी बीस सूत्रीय समितियों का गठन ।
3. केन्द्र शासन के बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों पर अनुवर्तन कार्यवाही ।
4. सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
5. विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही ।

प्रभावी अधिनियम एवं नियम

1. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम, 1980
2. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम, 1997
3. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1991
4. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1997

विभाग का सामान्य दायित्व

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवेदित प्रगति/उपलब्धियों का समसामयिक मूल्यांकन अनुश्रवण एवं समितियों के सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना विभाग का सामान्य दायित्व है ।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

1. प्रबोधन एवं अनुश्रवण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशों के सापेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए कार्यक्रम प्रगति/उपलब्धियों का राज्य प्रतिवेदन केन्द्र शासन को आगामी माह की पॉच तारीख तक संप्रेषित किया जा रहा है। कतिपय विषयों पर न्यूनतम उपलब्धियों पर विभागीय टीप प्राप्त कर शासन को अवगत कराया जाता है । कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देश दिया जाता है ।

2. पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित दायित्व

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषयगत प्रगति व उपलब्धियों की समीक्षा का दायित्व क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं - (राज्य, जिलों व जनपद पंचायतों) को प्रत्यायोजित किया गया है । कार्यक्रम की देख-रेख का दायित्व भी इन संस्थाओं को सौपा गया है ।

भाग-2

कार्यक्रम के अंतर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय

कार्यक्रम अंतर्गत जिला/जनपद पंचायत स्तर पर स्वीकृत पदों पर होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा वर्ष 2011-12 में 169.30 लाख रूपये का आबंटन उपलब्ध कराया गया है जिसके सापेक्ष्य में दिसम्बर, 2011 तक लगभग 80 प्रतिशत व्यय हुआ है ।

भाग-3 निरंक

भाग-4 निरंक

भाग-5

अभिनव योजनाएँ

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा की विषयगत सूची :-

1. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र/राज्य शासन द्वारा संचालित 20 कार्यकलापों को समाहित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. रोजगार सृजन- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ।
2. (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, (एसजीएसवाई) ।
   (ख) एसजीएयवाई के अंतर्गत अ.जा.,अ.जा. महिलाओं एवं विकलांग स्वरोजगारियों को सहायता ।
3. (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गठित स्व सहायता ग्रुप।
   (ख) स्व सहायता ग्रुप जिन्हों आय का सृजन करने वाली गतिविधियां प्रदान की गई हैं ।
4. (क) भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण,
   (ख) अ.जा.,अ.ज.जा एवं अन्य वितरित की गई बंजर भूमि
5. (क) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित) (i) किया गया निरीक्षण (ii) पाई गई अनियमितताएं (iii) सुधारी गई अनियमितताएं
   (ख) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित) (i) किए गए दावे (ii) निपटाए गए दावे
   (ग) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित) (i) लंबित अभियोजन केस (ii) दायर किए गए अभियोजन केस (iii) निर्णीत अभियोजन केस
6. (क) खाद्य सुरक्षा: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) एएवाई, एपीएल और बीपीएल के लिए
   (ख) खाद्य सुरक्षा :- टीपीडीएस केवल अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई)
   (ग) खाद्य सुरक्षा :- टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)
   (घ) खाद्य सुरक्षा :- टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)
7. ग्रामीण आवास -इंदिरा आवास योजना
8. शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास,
9. (क) ग्रामीण क्षेत्र- एआरडब्ल्यूएसपी शामिल बसावटें (एनसी/पीसी)
   (ख) छूटी हुई बसावटों तथा जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली बसावटों में कार्यों की शुरूआत
10. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम,

11. संस्थानिक प्रसव,
12. सहायताप्राप्त अनुसूचित जाति परिवार
13. आईसीडीएस योजना का वैश्वीकरण (संचयी)
14. क्रियाशील आंगनवाड़िया (संचयी)
15. सात सूत्रीय चार्टर के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या
16 (क) वनरोपण- रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
(ख) वनरोपण - रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
17. ग्रामीण सड़कें - पीएमजीएसवाई के अधीन निर्मित सड़के
18. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतंर्गत गांव को बिजली प्रदान की गई
19. पम्पसेटों को बिजली
20. विद्युत आपूर्ति

वार्षिक लक्ष्य 2011-12

केन्द्र शासन द्वारा राज्य के लिये निर्धारित लक्ष्य बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

योजना/कार्यक्रम विवरण	भौतिक इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य
1	2	3
1. स्वरोजगार सहायता	हितग्राही संख्या	2905
2. स्व सहायता समूहों का गठन	समूह संख्या	5298
3. ग्रामीण आवास निर्माण	आवास संख्या	37466
4. नगरीय आवास निर्माण	आवास संख्या	12500
5. पेयजल सुविधा से वंचित बसाहटों के लिए पेयजल	वसाहट संख्या	3283
6. एकीकृत बाल विकास परियोजना	परियोजनाओं की संख्या	198
7. ऑगनबाड़ी संचालन	ऑगनबाड़ी संख्या	50501
8. अनुसूचित जाति परिवार सहायता	हितग्राही संख्या	375000
9. शहरी गरीब परिवारों को सहायता	हितग्राही संख्या	18750
10. वृक्षारोपण-क्षेत्र अच्छादित	हेक्टर	78000
11. वृक्षारोपण-वृक्ष	वृक्ष संख्या	50700000
12. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क	सड़क किलोमीटर	1500
13. राजीव गांधी विद्युतीकरण	ग्राम संख्या	901
14. पम्प विद्युतीकरण	पम्प संख्या	30000

भाग–6
प्रकाशन

राज्य शासन द्वारा समेकित प्रतिवेदन के आधार पर समसामयिक समीक्षा की जाती है तद्नुरूप केन्द्र शासन द्वारा भी राज्य के परिपेक्ष्य में समीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है । राज्य शासन अथवा संचालनालय द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम संबंधी कोई भी प्रकाशन जारी नहीं किया जाता है ।

भाग–7 सारांश –निरंक

––––––––00000––––––––